ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

अनुवाद अध्ययन विभाग

अध्ययन-मंडल की ऑनलाइन/ऑफलाइन बैठक

दिनांक : 07/06/2022

कार्यवृत्त

अनुवाद अध्ययन विभाग (अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ) के अध्ययन-मंडल (BoS) की बैठक दिनांक 07/06/2022 को अपराह्न 04:00 बजे अध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए:

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	:	अध्यक्ष
डॉ. रामप्रकाश यादव	:	सदस्य
प्रो. चित्तरंजन कर	:	बाह्य विशेषज्ञ
प्रो. देवशंकर नवीन	:	बाह्य विशेषज्ञ
डॉ. शिवम शर्मा	:	भूतपूर्व छात्र सदस्य

बैठक में लिए गये निर्णयों का मदवार विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन की सूचना।

निर्णय: अध्ययन-मंडल ने दिनांक 10/12/2021 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की स्कूल-बोर्ड एवं माननीय विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना ग्रहण की।

मद संख्या 02: पी-एच.डी. कोर्सवर्क की पाठ्यचर्या 'आधारभूत शोध प्रविधि' एवं 'कंप्यूटर अनुप्रयोग' को क्रमश: 04 क्रेडिट तथा 02 क्रेडिट किये जाने की सूचना।

निर्णय: अध्ययन-मंडल माननीय विद्या परिषद् द्वारा पी-एच.डी. कोर्सवर्क की पाठ्यचर्या 'आधारभूत शोध प्रविधि' एवं 'कंप्यूटर अनुप्रयोग' को क्रमश: 04 क्रेडिट तथा 02 क्रेडिट किये जाने की सूचना से अवगत हुआ।

मद संख्या 03: पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम के कोर्सवर्क की पाठ्यचर्या में 04 क्रेडिट की अनुवाद व्याकरण की अतिरिक्त पाठ्यचर्या सम्मिलित करने पर विचार।

निर्णय: अध्ययन-मंडल ने पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम के कोर्सवर्क की पाठ्यचर्या में 04 क्रेडिट की 'अनुवाद व्याकरण' की अतिरिक्त पाठ्यचर्या को सम्मिलित करने पर विचार कर इसका अनुमोदन किया।

मद संख्या 04: सत्र 2021-22 में पी-एच.डी.कार्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थियों को एक वर्ष के भीतर दो भाषाओं में दक्षता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को अनिवार्य करने पर विचार।

Deoshankar Navin

07/06/22

निर्णय : अध्ययन-मंडल ने सत्र 2021-22 में पी-एच.डी.कार्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थियों को एक वर्ष के भीतर दो भाषाओं में दक्षता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को अनिवार्य करने का अनुमोदन किया।

मद संख्या 05: पराविद्या उच्च शोध एंवं ज्ञान-सर्जन केंद्र के अध्ययन मंडल की बैठक में दिनांक 18 जनवरी, 2022 को अनुवाद अध्ययन विभाग के पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम सत्र 2020-21 की शोधार्थी सुश्री रिमझिम सिन्हा के लिए प्रो. नीरजा अरुण गुप्ता को सह-शोध-निर्देशक नामित किए जाने की सूचना तथा अनुवाद अध्ययन विभाग की शोधार्थी होने के कारण उनके लिए तकनीकी तौर विश्वविद्यालय से शोध-निर्देशक नामित करने पर विचार।

निर्णय : अध्ययन-मंडल ने पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन केंद्र के अध्ययन मंडल की बैठक में दिनांक 18/01/2022 को अनुवाद अध्ययन विभाग के पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम सत्र 2020-21 की शोधार्थी सुश्री रिमझिम सिन्हा के लिए प्रो. नीरजा अरुण गुप्ता को सह-शोध-निर्देशक नामित किए जाने की सूचना ग्रहण की। सुश्री सिन्हा के लिए शोध-निर्देशक के रूप में प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, समन्वयक, पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन केंद्र को शोध निर्देशक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 06: सत्र 2021-22 में पंजीकृत पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम के शोधार्थियों के लिए शोध-निर्देशक का निर्धारण।

निर्णय: अध्ययन मंडल द्वारा सत्र 2021-22 के पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम के शोधार्थियों के लिए निम्नानुसार शोध-निर्देशक नामित किया गया-

क्र.सं.	शोधार्थी का नाम	शोध-निर्देशक
1.	रश्मि मिश्रा	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
2.	पूनम कुमारी	डॉ. रामप्रकाश यादव
3.	मुकुन्द कुमार	
4.	शाश्वती खुंटिआ	डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र
5.	रवि कुमार	
6.	यादव आनंदसेन रामनाथ	डॉ. सत्यवीर
7.	कल्पना पाल	
8.	अजय कुमार	डॉ. ज्योतिष पायेङ
9.	सन्तोष कुमार विश्वकर्मा	
10.	माली प्रिया सुनिल	डॉ. मीरा निचळे
11.	अंजू	

मद संख्या 06: पी-एच.डी. शोधार्थी श्री जावेद शेख के सह शोध-निर्देशक की माँग किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार।

निर्णय: अध्ययन मंडल ने पी-एच.डी. शोधार्थी श्री जावेद शेख के सह शोध-निर्देशक की माँग किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किया और निर्णय लिया कि श्री जावेद शेख को शोधकार्य करने में जिस भी स्तर पर कठिनाई हो, उनके लिए सह शोध निर्देशक नामित किया जा सकता है, और इसकी सूचना अध्ययन मंडल की बैठक में दी जाए।

Deoshankar Navin

मद संख्या 07: शोध निर्देशक डॉ. हरप्रीत कौर के ई-मेल के आलोक में एम.फिल. शोधार्थी श्री एमडी. आफताब सत्र 2018-20 के प्रकरण पर विचार।

निर्णय: अध्यक्ष, अध्ययन मंडल ने अध्ययन मंडल के समक्ष शोध निर्देशक डॉ. हरप्रीत कौर के ई-मेल दिनांक 04/06/2022 के आलोक में एम.फिल. शोधार्थी श्री एमडी. आफताब सत्र 2018-20 के प्रकरण को विस्तार से प्रस्तुत किया । अध्ययन मंडल ने इस पर गंभीरता से विचार किया। अध्ययन मंडल ने निर्णय लिया कि इन्हें लघु शोध प्रबंध को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 30/06/2022 तक का समय दिया जाए। यदि दिनांक 30/06/2022 के बाद भी श्री एमडी. आफताब को लघु शोध प्रबंध को जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, तो उन्हें 90% शोधकार्य पूर्ण होने के आशय संबंधी शोध-निर्देशक के प्रमाण-पत्र के साथ तथा शोध-निर्देशक के माध्यम से दिनांक 30/06/2022 के पूर्व आवेदन करना होगा। श्री एमडी. आफताब के ऐसा करने में विफल होने पर उनका पंजीयन दिनांक 30/06/2022 के बाद स्वतः निरस्त हो जाएगा।

मद संख्या 08 : श्री सुधीर गौतमराव जिंदे का पी-एच.डी.पंजीयन निरस्त होने की प्रक्रिया।

निर्णय: अध्यक्ष, अध्ययन मंडल ने अध्ययन मंडल के समक्ष श्री सुधीर गौतमराव जिंदे पी-एच.डी. शोधार्थी सत्र 2012-13 के प्रकरण और इस संबंध में लिखे गये फोन/ई-मेल/पत्रों तथा की गयी कार्यवाही को विस्तार से प्रस्तुत किया। अध्ययन मंडल ने माना कि श्री सुधीर गौतमराव जिंदे का व्यवहार विश्वविद्यालय के नियमों तथा पी-एच.डी.अध्यादेश के प्रावधानों की अवहेलना है। श्री जिंदे का यह व्यवहार न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि दंडनीय भी है। अध्ययन मंडल ने माना कि श्री जिंदे के साहित्य चोरी संबंधी सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र एवं पी-एच.डी. शोध–प्रबंध का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अध्ययन मंडल के बाह्य विशेषज्ञ प्रो. देवशंकर नवीन ने सुझाव दिया कि श्री जिंदे का पी-एच.डी. पंजीयन निरस्त करने के साथ ही उनको प्राप्त शोधवृत्ति ब्याज साहित वापस लेने संबंधी प्रक्रिया की जाएँ, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

ऑनलाइन
(डॉ. शिवम शर्मा)
भूतपूर्व छात्र सदस्य

ऑनलाइन
(डॉ. राम प्रकाश यादव)
सदस्य

ऑनलाइन
(प्रो. चित्तरंजन कर)
बाह्य विशेषज्ञ

Deoshankar Navin
ऑनलाइन
(प्रो.देवशंकर नवीन)
बाह्य विशेषज्ञ

(प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल) 07/06/2022
अध्यक्ष

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

अनुवाद अध्ययन विभाग

अध्ययन-मंडल (BoS) की ऑनलाइन बैठक

दिनांक : 22/05/2021

कार्यवृत्त

अनुवाद अध्ययन विभाग (अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ) के अध्ययन-मंडल (BoS) की बैठक दिनांक 22/05/2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए:

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	:	अध्यक्ष
डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी	:	सदस्य
प्रो. एम. वेंकटेश्वर	:	बाह्य विशेषज्ञ
डॉ. हरीश कुमार सेठी	:	बाह्य विशेषज्ञ
श्री हरिओम शुक्ल	:	भूतपूर्व छात्र सदस्य
डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र (प्रभारी)	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. रामप्रकाश यादव	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. हरप्रीत कौर	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. सत्यवीर	:	विशेष आमंत्रित
सुश्री ऋचा कुशवाहा	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. ज्योतिष पायेङ	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. मीरा निचळे	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. जीतेन्द्र,अतिथि अध्यापक	:	विशेष आमंत्रित
डॉ. अनुराधा पाण्डेय,अतिथि अध्यापक	:	विशेष आमंत्रित

बैठक में लिए गये निर्णयों का मदवार विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त का संज्ञान।

निर्णय: अध्ययन-मंडल ने दिनांक 30/10/2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की स्कूल-बोर्ड एवं माननीय विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना ग्रहण की।

मद संख्या 02: अधिगम-परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या संरचना (LOCF) के अनुरूप स्नातकोत्तर कार्यक्रमों (एम.ए. अनुवाद अध्ययन तथा अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) की संशोधित पाठ्यचर्याओं का अनुमोदन।

निर्णय: एम.ए. अनुवाद अध्ययन, एम.ए. हिंदी (अनुवाद) तथा अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की पाठ्यचर्याओं में अपेक्षित सुधार कर संशोधित पाठ्यचर्याओं का अनुमोदन किया गया। (संलग्न)

मद संख्या 03: अधिगम-परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या संरचना (LOCF) के अनुरूप पी-एच.डी. कोर्स वर्क की पाठ्यचर्याओं पर विचार।

निर्णय: अध्ययन-मंडल द्वारा अधिगम-परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या संरचना (LOCF) के अनुरूप निर्मित पी-एच.डी. कोर्स वर्क की पाठ्यचर्याओं में अपेक्षित सुधार कर उनका अनुमोदन किया गया। (संलग्न)

मद संख्या 04: राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के अनुसरण में स्नातक कार्यक्रम की संरचना पर विचार।

निर्णय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के अनुसरण में चयन-आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) के अंतर्गत अधिगम-परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या संरचना (LOCF) पर विस्तार से चर्चा की गयी। तदनुसार पाठ्यचर्याओं की रूपरेखा तैयार की गयी। (संलग्न)

मद संख्या 05 : पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री चंद्रकला साहू के शोध-विषय का निर्धारण।

निर्णय: अध्ययन-मंडल में पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री चंद्रकला साहू के शोध विषय प्रस्ताव '*योग की तकनीकी शब्दावली का अनुवादपरक अध्ययन (मराठी और हिंदी भाषा के संदर्भ में)*' पर चर्चा की गयी। विचार-विमर्श के उपरांत शोध शीर्षक में आंशिक संशोधन कर इसे '*योग की तकनीकी शब्दावली का निर्वचनमूलक अध्ययन (मराठी और हिंदी भाषा के संदर्भ में)*' करते हुए शोध प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 06 : पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री चंद्रकला साहू के शोध-निर्देशक बदलने संबंधी आवेदन पर विचार।

निर्णय: पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री चंद्रकला साहू के शोध-निर्देशक बदलने संबंधी आवेदन पर विचार किया गया। शोध प्रस्ताव की अंतरानुशासनिक प्रकृति को देखते हुए अध्ययन मंडल ने शोध-निर्देशक के रूप में डॉ. जयंत उपाध्याय, सह-आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग को नियुक्त करने की संस्तुति की।

मद संख्या 07 : पी-एच.डी. शोधार्थियों की शोध समयावधि विस्तार से संबंधित प्रकरणों पर विचार।

निर्णय : अध्ययन मंडल ने पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री आकांक्षा मोहन, सुश्री उपासना गौतम तथा श्री विजय करन के शोध समयावधि विस्तार संबंधी आवेदनों पर विचार कर इन्हें 30 सितंबर 2021 तक पूर्व-प्रस्तुति करने एवं 31 दिसंबर 2021 तक शोध-प्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान की।

मद संख्या 08 : पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के पूर्व-प्रस्तुति संबंधी आवेदन पर विचार।
निर्णय : अध्ययन मंडल द्वारा पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के पूर्व-प्रस्तुति संबंधी आवेदन पर विचार करते हुए इन्हें 31 जुलाई 2021 तक पूर्व-प्रस्तुति करने एवं शोध-प्रबंध जमा करने की अनुमति प्रदान किया गया ।

मद संख्या 09 : नवनियुक्त शिक्षकों को पी-एच.डी. शोध-निर्देशक नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार।
निर्णय : अध्ययन मंडल ने डॉ. ज्योतिष पायेङ तथा डॉ. मीरा निचळे, सहायक प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग को पी-एच.डी. शोध-निर्देशक नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

मद संख्या 10 : अनुवाद विद्या के क्षेत्र में वार्षिक व्याख्यानमाला आयोजित करने पर विचार।
निर्णय : अध्ययन मंडल ने अनुवाद विद्या के क्षेत्र में वार्षिक व्याख्यानमाला आयोजित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की। इस व्याख्यानमाला का नामकरण किसी लब्धप्रतिष्ठित भारतीय निर्वचक या वैयाकरण की स्मृति में किया जा सकता है।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

(श्री हरिओम शुक्ल)
भूतपूर्व छात्र सदस्य

(डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी)
सदस्य

डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र
प्रभारी, अनुवाद अध्ययन विभाग

(प्रो. एम. वेंकटेश्वर)
बाह्य विशेषज्ञ

(डॉ. हरीश कुमार सेठी)
बाह्य विशेषज्ञ

(प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल)
अध्यक्ष

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

अनुवाद अध्ययन विभाग

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

अध्ययन मंडल की बैठक

दिनांक 30 /10/2020

कार्यवृत्त

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अनुवाद अध्ययन विभाग की अध्ययन मंडल की ऑनलाइन/ऑफलाइन बैठक दिनांक 30/10/2020 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित हुई। अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए:

प्रो.हनुमानप्रसाद शुक्ल	:	अध्यक्ष
डॉ.अनवर अहमद सिद्दीकी	:	सदस्य
प्रो. एम.वेंकटेश्वर	:	बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
डॉ. हरीश कुमार सेठी	:	बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
डॉ.हरप्रीत कौर (प्रभारी)	:	विशेष आमंत्रित
डॉ.शैलेश मरजी कदम	:	विशेष आमंत्रित
डॉ.रामप्रकाश यादव	:	विशेष आमंत्रित
डॉ.श्रीनिकेत कुमार मिश्र	:	विशेष आमंत्रित
डॉ.सत्यवीर	:	विशेष आमंत्रित
सुश्री ऋचा कुशवाहा	:	विशेष आमंत्रित

बैठक में निम्नलिखित प्रकरणों पर विचारोपरांत निर्णय लिये गये-

मद संख्या 01:पिछली बैठक के कार्यवृत का संज्ञान।

निर्णय : अध्ययन मंडल ने दिनांक: 16/04/2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की स्कूल बोर्ड एवं माननीय विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन किये जाने की सूचना ग्रहण की।

मद संख्या 02: अनुवाद अध्ययन विभाग के अंतर्गत संचालित एम.ए. अनुवाद अध्ययन एवं अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों हेतु अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम सरंचना (LOCF) के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रारूप में विभागीय समिति द्वारा तैयार की गयी पाठ्यचर्याओं पर विचार।

निर्णय: विभागीय समिति द्वारा तैयार विभिन्न पाठ्यचर्याओं पर सम्यक् विचारोपरांत आवश्यक संशोधनों को समाहित करने के निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया (संलग्न)।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

30/10/20
(डॉ.अनवर अहमद सिद्दीकी)
सदस्य

30/10/2020
(डॉ.हरप्रीत कौर)
प्रभारी (विशेष आमंत्रित)

(प्रो. एम.वेंकटेश्वर)
बाह्य विशेषज्ञ

ऑन लाइन
(डॉ.हरीश कुमार सेठी)
बाह्य विशेषज्ञ

शुक्ल
30/10/2020
(प्रो.हनुमानप्रसाद शुक्ल)
अध्यक्ष

ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

अनुवाद अध्ययन विभाग

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

अध्ययन मंडल की ऑनलाइन बैठक

दिनांक 16/04/2020

कार्यवृत्त

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की ऑनलाइन बैठक दिनांक 16/04/20 को प्रात: 11.00 बजे संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	:	अध्यक्ष
डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी	:	सदस्य
प्रो. एम. वेंकटेश्वर	:	बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
डॉ. हरीश कुमार सेठी	:	बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
श्री हरिओम शुक्ल	:	भूतपूर्व छात्र सदस्य
डॉ. हरप्रीत कौर (प्रभारी)	:	विशेष आमंत्रित

बैठक में मदवार विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

मद संख्या 01 : पिछली बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन की सूचना।

निर्णय : दिनांक 07/10/2019 को आयोजित अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवृत्त का स्कूल बोर्ड एवं विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया था। अध्ययन मंडल ने इसकी सूचना ग्रहण की।

मद संख्या 02 : एम.ए. अनुवाद अध्ययन पाठ्यक्रम में संशोधन।

प्रस्ताव

(i) एम. ए. अनुवाद अध्ययन के पाठ्यक्रम पर अधिगम परिणाम आधारित पाठ्य संरचना (LOCF) के अनुसरण में पाठ्यक्रम में संशोधन।

67

(ii) अनुवाद एवं/ निर्वचन में कौशल आधारित विशेषीकृत पाठ्यक्रम पर विचार।

निर्णय :

(i) एम. ए. अनुवाद अध्ययन की अधिगम परिणाम आधारित प्रस्तावित पाठ्य संरचना (LOCF) पर विस्तृत चर्चा की और संलग्न प्रारूप के अनुसार उसे स्वीकार किया (**संलग्नक क**)।

(ii) अनुवाद तथा निर्वचन में विशेषीकृत एवं कौशल आधारित अलग-अलग पाठ्यचर्याओं का निर्माण पर चर्चा की (**संलग्नक ख**)।

मद संख्या 03 : पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित योग्यता में संशोधन।

प्रस्ताव:

(i) पी.जी डिप्लोमा में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता अनुवाद अध्ययन में अथवा किसी भी भारतीय या विदेशी भाषा / साहित्य में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि रखी जाए।

(ii) अनुवाद अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य किया जाए, जिसमें एक भाषा हिंदी होगी तथा दूसरी कोई भी भारतीय अथवा विदेशी भाषा हो सकती है। भाषा दक्षता का प्रमाणन अपेक्षित होगा।

निर्णय : मद संख्या 03 (i) के निर्णय में बाह्य विशेषज्ञ प्रो. एम. वेंकटेश्वर ने पी.जी. डिप्लोमा की योग्यता हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक रखने का सुझाव दिया एवं 03 (ii) को स्वीकृत किया गया।

मद संख्या 04 : डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र एवं डॉ. सत्यवीर को शोध-निर्देशक के रूप में नियुक्त किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार।

निर्णय : डॉ. श्रीनिकेत कुमार मिश्र एवं डॉ. सत्यवीर को शोध-निर्देशक नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं आत्मवृत्त (बायो-डाटा) पर अध्ययन-मंडल ने चर्चा की और डॉ. मिश्र एवं डॉ. सत्यवीर को शोध-निर्देशक नियुक्त करने का निर्णय लिया (**संलग्नक ग एवं घ**)।

मद संख्या 05 : अनुवाद एवं निर्वचन के लिए हिंदी भाषा में रीडर तैयार करने संबंधी पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव पर चर्चा।

निर्णय : अनुवाद की अवधारणा पर केंद्रित चिंतन/विचार मूलक लेखों/ शोध-पत्रों/ अन्य पाठ्यांशों का संग्रह किया जाए और प्रस्तावना के रूप में अनुवाद एवं निर्वचन के संक्षिप्त इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।

मद संख्या 06: वर्तमान अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए अनुवाद अध्ययन में एम.फिल का स्थगन।

निर्णय: संस्तुत।

मद संख्या 07 :

(i) अखिल भारतीय स्तर पर अनुवादकों का एक समूह संयोजित करने का प्रस्ताव ।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र के अनुशरण में पी-एच.डी. कोर्स-वर्क/एम.फिल. पाठ्यचर्या में शोध-प्रविधि संबंधी पाठ्यक्रमों में प्लैगरिज्म (Plagiarism) एवं कॉपीराइट (Copyright) संबंधी इकाई को अनिवार्यत: सम्मिलित करने का प्रस्ताव।

निर्णय :

(i) आरंभ में देश भर के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले कम से कम 100 तथा भारतीय तथा विदेशी भाषा में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने वाले कम से कम 10 अनुवादकों का समूह तैयार किया जाए जो विश्वविद्यालय की ओर से एक राष्ट्रीय अभिकरण की तरह संयोजित हो। भविष्य में क्रमशः इस समूह में अधिक से अधिक अनुवादकों को जोड़ने का सुझाव दिया गया। इसे **भारतीय अनुवाद संघ (Indian Translation Consortium)** कहा जा सकता है। संघ से जुड़ने वाले अनुवादकों का डेटाबेस तैयार करने प्रारूप संलग्न (**संलग्नक च**) है।

(ii) यह अंश विश्वविद्यालय के सभी विभागों के पाठ्यक्रमों में समान रखे जाने पर सर्वसम्मति बनी । इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एवं पाठ्यक्रम-निर्माण समिति का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष की ओर से हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के एम.ए. हिंदी पाठ्यक्रम के लिए विकल्प समूह: हिंदी (अनुवाद) पाठ्यचर्या का विशेष प्रस्ताव।

निर्णय: हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के एम.ए. हिंदी, विकल्प समूह: हिंदी (अनुवाद) हेतु तृतीय सेमेस्टर (16 क्रेडिट मूल +08 क्रेडिट ऐच्छिक विकल्प) एवं चतुर्थ सेमेस्टर (16 क्रेडिट मूल +08 क्रेडिट ऐच्छिक विकल्प) की पाठ्यचर्या (संलग्न) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई ।

(प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल)

अध्यक्ष

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

ज्ञान, शांति, मैत्री

अनुवाद अध्ययन विभाग

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

अध्ययन-मंडल की बैठक

बैठक का कार्यवृत्त

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अनुवाद अध्ययन विभाग की अध्ययन-मंडल की बैठक दिनांक 07/10/2019 को अपराह्न 03:00 बजे अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में अध्ययन-मंडल के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	:	अध्यक्ष
डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी	:	सदस्य
प्रो. एम. वेंकटेश्वर	:	बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
डॉ. हरीश कुमार सेठी	:	बाह्य विशेषज्ञ सदस्य
श्री राकेश मंजुल	:	सदस्य (विशेष आमंत्रित)

बैठक में निम्नलिखित प्रकरणों पर विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गए –

मद संख्या : 01 पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय : अध्ययन-मंडल ने दिनांक : 14/02/2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की तथा लिये गए निर्णयों के अनुपालन का संज्ञान लिया।

मद 2 : विभिन्न पाठ्यक्रमों (एम.ए. अनुवाद अध्ययन एवं अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा) की पाठ्यचर्या का अद्यतन (Update) किया जाना एवं अन्य अकादमिक सुधार

निर्णय : इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गये -

1. अकादमिक सत्र 2020-21 से एम. ए. अनुवाद अध्ययन पाठ्यक्रम के स्थान पर एम. ए. अनुवाद एवं निर्वचन पाठ्यक्रम संचालित किया जाए।
2. अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को कौशल केंद्रित बनाते हुए उसे संशोधित कर अकादमिक सत्र 2020-21 से लागू किया जाए।
3. अकादमिक सत्र 2020-21 से निम्नलिखित कौशल आधारित अल्पावधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएँ :
   - (i) साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
   - (ii) चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम –
     - (क) ग्रीष्मकालीन अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (साहित्यिक अनुवाद)
     - (ख) शीतकालीन अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशासनिक अनुवाद)
     - (ग) शीतकालीन अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (ज्ञानाधारित पाठ का अनुवाद)
4. उपर्युक्त बिंदुओं के आलोक में पाठ्यक्रम निर्माण/संशोधन एवं मसौदा तैयार करने के लिए दिसंबर/जनवरी में एक सप्ताह (पाँच कार्य दिवस) की कार्यशाला के आयोजन करने का निर्णय लिया गया।
5. अनुवाद एवं निर्वचन अध्ययन से संबंधित विभिन्न पाठ्यचर्याओं हेतु रीडर तैयार कर प्रकाशित कराया जाए।
6. संस्कृत को स्रोत भाषा बना कर ज्ञान आधारित पाठों का भारतीय भाषाओं अनुवाद के लिए वृहद परियोजना निर्मित की जाए।
7. भारतीय भाषाओं के अनुवादकों की एकीकृत सूची तैयार की जाए। इस सूची में प्रत्येक भारतीय भाषा के कम से कम दस अनुवादक हों।

मद 3 : शोध-अवधि पूर्ण कर चुके शोधार्थियों (**सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे** (सत्र : 2014-15), **श्री वासुदेव** (सत्र : 2014-15) तथा **सुश्री लतिका रवीन्द्र चावडा** (सत्र : 2014-15) के वि-पंजीकरण (De-registration) विषयक आवेदनों पर विचार एवं तत्संबंधी निर्णय।

निर्णय :

उपर्युक्त तीनों शोधार्थियों का वि-पंजीकरण (De-registration) संस्तुत।

मद 4 : श्री बृजेश कुमार चौहान (सत्र : 2014-15) की शोध-अवधि का विस्तार।

निर्णय :

श्री बृजेश कुमार चौहान (सत्र : 2014-15) की अधिकतम शोध-अवधि (05 वर्ष) दिनांक : 13/08/2019 को पूरी हो चुकी है। इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वरिष्ठ शोधवृत्ति (UGC-SRF) प्रदान की जा रही है। शोध-विस्तार संबंधी इनके आवेदन पर विचार हेतु प्रकरण माननीय विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

मद 5 : श्री योगेश दिपराज भस्में, पी-एच.डी. अनुवाद प्रौद्योगिकी (सत्र : 2013-14) का पी-एच.डी. पंजीयन निरस्त किया जाना।

निर्णय : संस्तुत।

मद 6 : डॉ. शैलेश मरजी कदम को शोध-निर्देशक के रूप में नियुक्ति संबंधी निर्णय

निर्णय :

अध्ययन-मंडल ने डॉ. शैलेश मरजी कदम के आवेदन पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि नियमानुसार उन्हें पी-एच.डी. शोध-निर्देशक नियुक्त किया जाना संभव नहीं है।

मद 7 : पी-एच.डी. शोधार्थी श्री सुधीर गौतम जिंदे के प्रकरण पर विचार एवं तत्सबंधी निर्णय

निर्णय :

अध्ययन-मंडल द्वारा श्री सुधीर गौतम जिंदे के मेल पर विचार करते हुए और उनके अकादमिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौखिकी हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मद 8 : पी-एच.डी. शोधार्थी सुश्री शिल्पा तथा उनके शोध-निर्देशक डॉ. रामप्रकाश यादव के प्रकरण पर विचार एवं तत्सबंधी निर्णय

निर्णय :

अध्ययन-मंडल ने डॉ. रामप्रकाश यादव के गैर-अकादमिक व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. रामप्रकाश यादव को शोध निर्देशन हेतु अक्षम माना तथा भविष्य में डॉ. रामप्रकाश यादव को किसी शोधार्थी के लिये शोध-निर्देशक के रूप में नियुक्त नहीं किये जाने की संस्तुति की। साथ ही, सुश्री शिल्पा के संबंध में अध्ययन मंडल द्वारा डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी को सुश्री शिल्पा का शोध-निर्देशक नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तीसरे परीक्षक के रूप में शोध-निर्देशक के स्थान पर बाह्य विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

मद 9 : श्री विजय करन, पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन (2016-17) के शोध-निर्देशक बदलने के प्रकरण पर विचार एवं तत्संबंधी निर्णय

निर्णय :

अध्ययन-मंडल द्वारा डॉ. रामप्रकाश यादव के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार और श्री विजय करन के अकादमिक हित को ध्यान में रखते हुए डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी को श्री विजय करन का शोध-निर्देशक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

मद 10 : एम. फिल. शोधार्थी श्री विष्णु शिवरकर के प्रकरण पर विचार एवं तत्सबंधी निर्णय

निर्णय :

अध्ययन-मंडल द्वारा श्री विष्णु शिवरकर के पत्रों और उनसे संबंधित प्रकरणों पर विचार कर उनकी गतिविधियों को अकादमिक विरोधी और अनर्गल मानते हुए भविष्य में श्री विष्णु शिवरकर के किसी भी पत्र-व्यवहार को संज्ञान में न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

(श्री राकेश मंजुल)
विशेष आमंत्रित

(डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी)
सदस्य

(डॉ हरीश कुमार सेठी)
बाह्य विषय विशेषज्ञ

(प्रो. एम. वेंकटेश्वर)
बाह्य विषय विशेषज्ञ

(प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल)
संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष

अनुवाद अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

अध्ययन मंडल की बैठक

दिनांक 14.02.2019

कार्यवृत्त

आज दिनांक 14.02.2019 को प्रात: 11:00 बजे अनुवाद अध्ययन विभाग में अध्ययन मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित विभागीय सदस्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. देवराज - (संकायाध्यंक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ) : अध्यक्ष
2. डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी - (प्रभारी, अनुवाद अध्ययन विभाग) : सदस्य
3. डॉ. हिमाद्री शईकीया - पूर्व विद्यार्थी सदस्य
4. प्रो रामजी तिवारी - बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य

- डॉ. राम प्रकाश यादव, सहायक प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर विदेश में हैं।)
- डॉ. हरप्रीत कौर, सहायक प्रोफेसर (कर्तव्य अवकाश पर हैं।)
- श्री गोपाल राम, सहायक प्रोफेसर (धारणाधिकार पर हैं।)

प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा बाह्य विषय विशेषज्ञ सहित समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। उसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए।

i. एम.ए., एम.फिल. एवं पी.जी.डिप्लोमा अनुवाद अध्ययन के पाठ्यक्रमों की स्वीकृति -.

1. एम.ए. अनुवाद अध्ययन अद्यतन पाठ्यक्रम विद्या-परिषद के माननीय अध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 31.10.2018 को दूसरे सत्र से लागू किए जाने हेतु स्वीकृत

14.2.19

14/02/19

Scanned by CamScanner

में संशोधन करके अपना संशोधित शोध कार्य प्रस्तुत किया, जिसे समिति द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु संकायाध्यक्ष कार्यालय को अग्रेषित किया गया। प्रकरण सूचना एवं विचार हेतु विभागीय अध्ययन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय – विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा सुश्री शिल्पा के शोध कार्य में संशोधन हेतु गठित समिति के कार्य का अनुमोदन किया गया। साथ ही विभाग प्रभारी की कार्यवाही को भी अनुमोदित किया गया।

3. श्री विष्णु शिवरकर, एम.फिल. अनुवाद अध्ययन का प्रकरण –

एम.फ़िल शोधार्थी श्री विष्णु शिवरकर के प्रकरण की संकायाध्यक्ष द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कुलपति महोदय ने विभाग को जाँच रिपोर्ट की संस्तुतियाँ लागू करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के अनुपालन में अनुवाद अध्ययन विभाग द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए-

i. नवीन शोध विषय:

श्री विष्णु शिवरकर को पहले **'मराठी – हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली (मराठी फिल्म जगत के विशेष संदर्भ में)'** शोध विषय प्रदान किया गया था। शोधार्थी की माँग पर उन्हें निम्नांकित नवीन शोध विषय प्रदान किया गया-

मराठी संज्ञा आधारित व्युत्पादक रूपिम सर्जक का विकास (मशीन अनुवाद के संदर्भ में)

ii. शोध निर्देशक :

श्री विष्णु शिवरकर के एम.फ़िल अनुवाद अध्ययन के शोध निर्देशक के रूप में डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी को नामित किया गया।

iii. शोध अवधि :

श्री विष्णु शिवरकर को एम.फ़िल अनुवाद अध्ययन उपाधि हेतु शोध कार्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2019 से 6 माह की अवधि प्रदान की गई।

iv श्री विष्णु शिवरकर द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने के आलोक में निर्णय लिया गया कि

14.2.19

14/02/19

Scanned by CamScanner

4. वर्तनी की त्रुटियाँ भी दृष्टिगोचर होती है।

5. कई स्थलों पर संदर्भ अंकन की आवश्यकता थी, जिन्हें शोधार्थी ने नहीं अंकित किया है।

यह विभाग के समक्ष एक अप्रत्याशित स्थिति है, जिसमें स्वयं शोध निर्देशक ने ही शोध कार्य में ऐसी कमियाँ बताई हैं जो अत्यंत गंभीर हैं। इस दशा में शोधार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया है कि शोध कार्य की कमियों और संशोधन के संबंध में उनके शोध निर्देशक का अभिमत प्राप्त किया जाए। अत: इस संबंध में श्री सुधीर गौतमराव जिंदे के शोध-निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव को अभिमत हेतु दिनांक 13 दिसंबर, 2018, 01 जनवरी, 2019 तथा 31 जनवरी, 2019 को पत्र ई-मेल द्वारा भेजे गए। किंतु शोध निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव द्वारा पत्र और दो स्मरण पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

यह एक अति गंभीर प्रकरण है, अतः विभागीय अध्ययन मंडल के स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता है ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

निर्णय -- विभागीय अध्ययन मंडल की बैठक में गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि - शोधार्थी एवं विश्वविद्यालय के हित को ध्यान में रखते हुऐ उक्त शोध कार्य हेतु एक संशोधन समिति गठित की गई। जिसमें डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी, प्रभारी, अनुवाद अध्ययन विभाग, को सदस्य एवं डॉ. मिलिंद पाटील पी.डी.एफ. को विशेष आमंत्रित सदस्य को नामित किया गया है। श्री सुधीर गौतमराव जिंदे संशोधित समिति के निर्देशन में संशोधन करके अपना संशोधित शोध कार्य प्रस्तुत करेंगं, जिसे समिति द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु संकायाध्यक्ष कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

6. पीएच.डी. शोध निर्देशक बदलना –

श्री विजय करण पीएच.डी. (अनुवाद अध्ययन) शोधार्थी का शोध निर्देशक बदलने संबंधी दिनांक 04.02.2019 का अनुवाद अध्ययन विभाग को आवेदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकरण के शोध-निर्देशक डॉ राम प्रकाश यादव को दिनांक 07 फरवरी, 2019 को अभिमत हेतु पत्र ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया। शोध-निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव का आज तक अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। शोधार्थी विजय करण ने दावा किया है कि उन्हें अपने शोध निर्देशक से न तो शोध निर्देशन

14.2.19

14/2/2019

Scanned by CamScanner

निर्णय – विभागीय अध्ययन मंडल ने सुश्री लेखा जोशी द्वारा कोई भी शोध कार्य न करने और शोध निर्देशक के प्रस्ताव के आलोक में यह निर्णय लिया कि पीएच.डी. शोधार्थी सुश्री लेखा जोशी का प्रवेश एवं पीएच. डी. शोध पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। विभागीय अध्ययन मंडल ने इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रभारी, अनुवाद अध्ययन विभाग को अधिकृत किया।

8. सुश्री पुष्पा यादव, एम.फिल. शोध निर्देशक बदलना -

सुश्री पुष्पा यादव, (सत्र 2017-18) एम.फिल. अनुवाद अध्ययन द्वारा शोध निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव को बदलने संबंधी आवेदन दिनांक 11.12.2018 को अनुवाद अध्ययन विभाग को प्राप्त हुआ है। जिसकी सूचना शोध-निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव को दिनांक 21 जनवरी, 2019 एवं 07 फरवरी, 2019 को ई-मेल द्वारा प्रेषित की गई। उनसे अभिमत उपलब्ध कराने का निवेदन भी किया गया। किंतु सुश्री पुष्पा यादव के शोध-निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव द्वारा अभिमत प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकरण को आवश्यक निर्देश हेतु विभागीय अध्ययन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय – विभागीय अध्ययन मंडल ने प्रकरण का अध्ययन करके पाया कि सुश्री पुष्पा यादव के शोध निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव हैं, जो विदेश में हैं तथा उनकी सह-शोध निर्देशक डॉ. हरप्रीत कौर हैं, जो विभाग में उपलब्ध हैं। शोध निर्देशक डॉ. राम प्रकाश यादव की अनुपस्थिति में सह-शोध निर्देशक डॉ. हरप्रीत कौर द्वारा शोधार्थी को शोध निर्देशन प्रदान किया जा सकता है अतः निर्णय यह लिया गया कि -

सुश्री पुष्पा यादव एम.फ़िल अनुवाद अध्ययन शोधार्थी के शोध निर्देशक बदलने संबंधित आवेदन पत्र पर निर्णय किया जाता है कि बिना किसी ठोस आधार के शोध निर्देशक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14.2.19

14/02/19

Scanned by CamScanner

जीवन संदर्भित हो रहा है। स्वीकृत शोध विषय में 'जनजातीय' शब्द अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है। अत: 'जनजातीय' शब्द को हटाने की माँग की है, जिसे अध्ययन मंडल ने स्वीकार कर लिया।

निर्णय – विभागीय अध्ययन मंडल ने पीएच.डी. शोधार्थी श्री कुलदीप कुमार पाण्डेय की शब्दावली में परिवर्तन करके निम्नांकित शोध विषय स्वीकार किया-

पूर्व स्वीकृत शोध विषय: **'The Mysterious Ailment of Rupi Baskey का हिंदी अनुवाद और अनूदित पाठ के आधार पर संथाली जनजातीय जीवन का अध्ययन'**

परिवर्तित शोध विषय: **'The Mysterious Ailment of Rupi Baskey का हिंदी अनुवाद और अनूदित पाठ के आधार पर संथाली जीवन का अध्ययन'**

11. श्री जीतेन्द्र, पीएच.डी. अनुवाद अध्ययन के शोध शीर्षक की शब्दावली में आंशिक परिवर्तन -

श्री जीतेन्द्र, पीएच.डी. शोधार्थी 2016-17 का आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2019 को विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसे उनके शोध निर्देशक द्वारा संस्तुत किया गया है। शोधार्थी का शोध विषय **'सामाजिक अंतरक्रिया में अनुवादक की भाषा पर सामाजिक कारकों का प्रभाव'** है। उन्होंने अपने शोध विषय में पाया कि भाषा पर अनिवार्यत: सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और भाषा के संदर्भ में जब सामाजिक कारकों का अध्ययन किया जाता है तो अंतरक्रिया उसमें संदर्भित रहती है। स्वीकृत शोध विषय में 'सामाजिक अंतरक्रिया में' पद अतिरिक्त है। अत: 'सामाजिक अंतरक्रिया में' **पद** को हटाने की माँग की, जिसे अध्ययन मंडल ने स्वीकार कर लिया।

निर्णय – विभागीय अध्ययन मंडल ने पीएच.डी शोधार्थी श्री जीतेन्द्र की शब्दावली में परिवर्तन करके निम्नांकित शोध विषय स्वीकार किया-

पूर्व स्वीकृत शोध विषय: **'सामाजिक अंतरक्रिया में अनुवादक की भाषा पर सामाजिक कारकों का प्रभाव'**

परिवर्तित शोध विषय: **'अनुवादक की भाषा पर सामाजिक कारकों का प्रभाव'**

14.2.19

14/02/19

Scanned by CamScanner

(13)

अनुवाद अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

अध्ययन मंडल की बैठक

दिनांक 29.08.2018

कार्यवृत्त

आज दिनांक 29.08.2018 को प्रात: 11:00 बजे अनुवाद अध्ययन विभाग में अध्ययन मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित विभागीय सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रो. देवराज - (संकायाध्यक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ) : अध्यक्ष
2. डॉ. रामप्रकाश यादव - (प्रभारी विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग) : सदस्य
3. डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी - सदस्य
4. डॉ. हरप्रीत कौर - सदस्य
5. डॉ. हिमाद्री शईकीया - पूर्व विद्यार्थी सदस्य
6. प्रो. रामजी तिवारी - बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य

प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा बाह्य विषय विशेषज्ञ सहित समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। सर्वप्रथम पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई, बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किये गये।

*1. **शोध अवधि विस्तार –**

सत्र 2014 के निम्नलिखित विद्यार्थियों को निम्नानुसार समय अवधि विस्तार दिया गया -

देवराज

· सूची में प्रवेशतिथि कॉलम में 2018 को 2014 पढ़ा जाए।
· क्रम सं. 06 पर 18.8.2018 को 19.08.2014 पढ़ा जाए।
देवराज

				सत्र 2014 की शोधार्थी बैठक में अनुपस्थित रही । सुश्री लेखा जोशी का समयावधि विस्तार संबंधी आवेदन ई-मेल प्राप्त हुआ । प्राप्त आवेदन को अध्ययन मंडल की बैठक में रखा गया । शोध निर्देशक की टिप्पणी के आलोक में शोध अवधि विस्तार संबंधी निर्णय को स्थगित रखा गया।

2. श्री वासुदेव के शोध विषय मं संशोधन के संबंध में -

श्री वासुदेव का शोध विषय **'मशीनी अनुवाद के संदर्भ में हिंदी शब्द विश्लेषक का निर्माण'** है।

उन्होंने अपने शोध निर्देशक द्वारा संस्तुत एवं अग्रेषित आवेदन में अपने शोध विषय में 'शब्द' शब्द के स्थान पर 'रूप' शब्द को रखने की माँग की, जिसे अध्ययन मंडल ने स्वीकार कर लिया।

निर्णय – संशोधन के उपरांत श्री वासुदेव का शोध विषय निम्नलिखित है –

'मशीनी अनुवाद के संदर्भ में हिंदी रूप विश्लेषक का निर्माण'

3. श्री बृजेश कुमार चौहान के शोध विषय में संशोधन के संबंध में -

श्री बृजेश कुमार चौहान का शोध विषय **'हिंदी-अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में विचलन (डायवर्जन्स) की समस्याएँ : सामान्य व्यवहार की भाषा के संदर्भ में'** है। उन्होंने अपने शोध निर्देशक द्वारा संस्तुत एवं अग्रेषित आवेदन में विचलन शब्द को हटाने की माँग की, जिसे अध्ययन मंडल ने स्वीकार कर लिया।

निर्णय – संशोधन के उपरांत श्री बृजेश कुमार चौहान का शोध विषय निम्नलिखित है –

'हिंदी-अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में डायवर्जन्स की समस्याएँ : सामान्य व्यवहार की भाषा के संदर्भ में'

6. सुश्री अनुपमा पाण्डेय के शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों की सूची के संबंध में -

डॉ. हरप्रीत कौर , शोध निर्देशक ने पीएच.डी. शोधार्थी सुश्री अनुपमा पाण्डेय के शोध प्रबंध परीक्षण हेतु प्रस्तुत विशेषज्ञ सूची अध्ययन मंडल की बैठक में रखी। अध्ययन मंडल मे यह निर्णय लिया गया कि सूची को नियमानुसार परीक्षा विभाग को प्रेषित किया जाए।

7. शोध समयावधि विस्तार के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालयादेश –

जिन शोधार्थियों (श्री चिप्पाडा अंबेडकर, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव एवं सुश्री अनुपमा पाण्डेय) को समयावधि विस्तार के कार्यालयादेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अकादमिक विभाग द्वारा जारी किये गये थे उनकी सूचना अध्ययन मंडल की बैठक में प्रस्तुत की गई।

निर्णय –

विभागीय अध्ययन मंडल सूचित हुआ।

8. विशेषज्ञों की सूची के संबंध में -

अध्ययन मंडल के विभिन्न सदस्यों से प्राप्त विशेषज्ञ सूची अध्ययन मंडल की बैठक में रखी गई। जिसे बाह्य विशेषज्ञ सदस्य द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त नामों के साथ अध्ययन मंडल ने स्कूल बोर्ड में रखे जाने हेतु स्वीकृत किया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(प्रो. देवराज)
संकायाध्यक्ष एवं अध्यक्ष

(डॉ. राम प्रकाश यादव)
प्रभारी विभागाध्यक्ष, सदस्य

24/08/18
(डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी)
सदस्य

(डॉ. हरप्रीत कौर)
सदस्य

(डॉ. हिमाद्री शईकीया)
पूर्व विद्यार्थी सदस्य

(प्रो. रामजी तिवारी)
बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य

अनुवाद अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

विभागीय अध्ययन मंडल

विशेष बैठक

13.04.2018

कार्यवृत्त

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष द्वारा महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के माननीय कुलपति को दिनांक 01.02.2018 एवं अनुवाद अध्ययन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष को दिनांक 09.02.2018 को लिखे गए पत्रों के अनुसरण में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम- 1996, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) संशोधित प्रशासनिक अध्यादेश (11-49) तथा वर्तमान में प्रभावी पी-एच. डी. एवं एम. फिल. अध्यादेशों में निर्धारित संबंधित प्रावधानों के आधार पर अनुवाद अध्ययन विभाग के विभागीय अध्ययन मंडल की एक विशेष बैठक दिनांक 13.04.2018 को आयोजित की गई। कार्यसूची में पूर्व-घोषित विचारणीय प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य विचारणीय विषय सम्मिलित करने के लिए संकायाध्यक्ष द्वारा विभाग के सभी प्राध्यापकों को दिनांक 15.02.2018 को पत्र प्रेषित किया गया था, किंतु कोई प्रकरण/बिंदु प्राप्त नहीं हुआ।

उपस्थिति विवरण

प्रो. देवराज : अध्यक्ष

डॉ. राम प्रकाश यादव : (प्रभारी विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग), सदस्य

डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी : सदस्य

डॉ. हरप्रीत कौर : सदस्य

डॉ. हिमाद्री शाईकिया : पूर्व विद्यार्थी सदस्य

प्रो. रामजी तिवारी : बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य

बैठक का विचार एवं निर्णय क्षेत्र : प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा बाह्य विषय विशेषज्ञ सहित समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और विशेष बैठक आहूत किए जाने की पृष्ठभूमि की चर्चा के पश्चात विचार एवं निर्णय क्षेत्र निम्नानुसार बताया गया :

1. शोध अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार शोधार्थियों द्वारा शोध-विषय के अपेक्षित संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्रों की वैधानिकता पर विचार और निर्णय।
2. वर्तमान प्रभारी विभागाध्यक्ष व संकायाध्यक्ष द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर विचार एवं निर्णय।
3. पत्रावलियों के अध्ययन के आधार पर शोध-कार्य एवं शोध-प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं पर विचार तथा उक्त संदर्भ में संकायाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार एवं निर्णय।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा शोध विषय संशोधन/परिवर्तन एवं शोध अवधि विस्तार संबंधी निर्णय से अवगत होना।
5. अनुवाद अध्ययन विभाग के वर्तमान पाठ्यक्रम को अधिक रोजगारोन्मुखी व प्रशिक्षण आधारित बनाए जाने पर विचार व निर्णय।
6. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार एवं निर्णय।

विशेष बैठक के उद्देश्यों के अनुसरण में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :

विचार किए गए प्रकरण/बिंदु एवं निर्णय/प्रस्ताव

एक : पी-एच. शोधार्थी सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे का शोध-विषय संशोधन/परिवर्तन :

बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत तथ्य :

अनुवाद अध्ययन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पत्रावली सं. 20/2014/पी-एच. डी./फैलोशिप/62 के अनुसार पी-एच. डी. कार्यक्रम में सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे की पंजीयन-तिथि 18.08.2014 है। विभागीय अध्ययन मंडल की 15.04.2015 की बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत शोध-विषय **"हिंदी-तेलुगु मशीनी अनुवाद के संदर्भ में रूपसाधक प्रत्यय का अध्ययन (क्रिया- लिंग, काल, पुरुष")** पर विचार किया गया। डॉ. अन्नपूर्णा-चर्ल की व्यक्तिगत पहल पर प्रो. ऊमा महेश्वर राव द्वारा की गई टिप्पणी का सम्मान करते हुए निर्णय किया गया कि वे इसी विषय को पुन: उपयुक्त रूप देकर अथवा कोई नया शोध-विषय प्रस्तुत करें, जिसे विभागीय समिति विचार के बाद विभागीय अध्ययन मंडल के सदस्यों को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराए। (मद सं. 03)। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभाग की प्राध्यापक, डॉ. हरप्रीत कौर शोध-विषय के निर्धारण में सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे की सहायता करने का दायित्व निभाएँ। (मद सं. 09)। तदनुसार डॉ हरप्रीत कौर द्वारा यथोचित कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप विभागीय अध्ययन मंडल की 29.09.2015 की बैठक में डॉ. हरप्रीत कौर को सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे की शोध-निर्देशक नियुक्त किए जाने के साथ ही शोध-विषय **"हिंदी से तेलुगु में रूपसाधक प्रत्यय का अध्ययन (मशीनी अनुवाद के विशेष संदर्भ में)"** दर्शाया गया। (मद सं. 01)।" डॉ. हरप्रीत कौर को पी-एच. डी. शोधार्थियों की शोध-निर्देशक नियुक्त किए जाने संबंधी संयुक्त कुलसचिव, अकादमिक द्वारा जारी अधिसूचना No. 20/2008/ अ.मं/07-पार्ट-ई/791, दिनांक 27.11.2015 में इसका उल्लेख किया गया। स्पष्ट है कि (i) सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे ने अपने मूल शोध-विषय को नहीं बदला था, बल्कि उसमें आंशिक संशोधन किया था, अत: उनका संशोधित शोध-विषय वही था, जिस पर विभागीय अध्ययन मंडल की 15.04.2015 की बैठक में विचार किया गया था। और (ii) सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के मूल शोध-विषय में आंशिक संशोधन उनकी वर्तमान शोध-निर्देशक, डॉ. हरप्रीत कौर की सहायता से किया गया था।

ऊपर संदर्भित पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार डॉ. हरप्रीत कौर ने 20.09.2016 को तत्कालीन विभागाध्यक्ष, डॉ. अन्नपूर्णा-चर्ल को एक पत्र प्रेषित करके मांग की कि सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे अपने शोध विषय में आंशिक संशोधन चाहती हैं, अत: इस संबंध में कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई उसी दिन होने वाली विभागीय अध्ययन मंडल की बैठक में की जानी थी। तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने विभागीय समिति की अनुशंसा और बैठक की कार्य-सूची में सम्मिलित किए बिना ही यह पत्र विभागीय अध्ययन मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया। उन्हें सलाह दी गई कि वे इस विषय में शोध-अध्यादेश के नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई करें और उसकी सूचना अगली बैठक में दें। उन्होंने - (i) विभागीय अध्ययन मंडल के निर्देश के बावजूद शोध-अध्यादेश की अवहेलना की और डॉ. हरप्रीत कौर द्वारा प्रस्तुत पत्र पर टिप्पणी अंकित की, "BSD यह निर्णय लिया गया कि पहले विभागीय RDC में Presentation देकर विषय सुनिश्चित करें"। सूचनीय है कि विभागीय RDC का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। (ii) तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि संबंधित शोध-निर्देशक ने शोध-विषय संशोधन

का जो आवेदन संस्तुत किया है, उसमें सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे ने मांग की है कि उनका शोध-विषय **"तेलुगु से हिंदी रूपसाधक प्रत्यय का अध्ययन और प्रत्ययों के लिए पदसूत्र निर्माण मशीनी अनुवाद के संदर्भ में"** कर दिया जाए। यह उन्हें पहले प्रदान किए गए शोध-विषय के स्थान पर नितांत नवीन विषय है। (iii) तत्कालीन विभागाध्यक्ष, संबंधित शोध-निर्देशक और शोधार्थी में से किसी ने भी शोध-अध्यादेश (45/2009, Approved on 14.03.2015 by Academic Council) के नियम/परिनियम (5.5) पर ध्यान नहीं दिया, जिसके अनुसार '... The concerned topic may be changed within six month from the date of registration", जबकि शोधार्थी का आवेदन इस अवधि के अंतर्गत नहीं आता।

इस प्रकरण को विभागीय अध्ययन मंडल की 16.09.2017 की बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। संकायाध्यक्ष को प्रभारी विभागाध्यक्ष से चर्चा करने पर ज्ञात हुआ कि विभागीय अध्ययन मंडल की 16.09.2017 की बैठक की कार्यसूची तैयार करने के लिए प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा सभी प्राध्यापकों से विचारणीय प्रकरण मांगे गए थे, लेकिन डॉ. हरप्रीत कौर ने केवल श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण में रुचि ली और उनसे विषय परिवर्तन के संबंध में प्राप्त आवेदनपत्र अग्रेषित किया। प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा उनका ध्यान सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के प्रकरण की ओर भी दिलाया गया, किन्तु उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि विभागीय अध्ययन मंडल की बैठक में भी प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा पुन: ध्यान आकर्षित किए जाने के बावजूद उन्होंने जान बूझकर कर उसकी उपेक्षा की।

संदर्भित शोधार्थी के शोध-विषय संबंधी प्रकरण से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद संबंधित शोध-निर्देशक द्वारा 08.02.2018 को कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव और विभाग को ई-मेल तथा उसी तिथि को प्रभारी विभागाध्यक्ष को पत्र भेज कर मांग की गई कि सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के शोध-विषय में आंशिक परिवर्तन के संबंध में उन्हें अवगत कराया जाए।

यह भी सूचनीय है कि सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे का एक ई-मेल उनकी शोध-निर्देशक द्वारा 05.03.2018 को बिना किसी टिप्पणी/संस्तुति के विभागीय कार्यालय को फारवर्ड किया गया है, जिसमें शोधार्थी ने विषय परिवर्तन संबंधी कार्रवाई को रद्द करने और पूर्व स्वीकृत शोध-विषय पर कार्य जारी रखने की अनुमति चाही है। ध्यातव्य है कि पूर्व स्वीकृत शोध-विषय पर पुन: स्वीकृति मांगने का कोई औचित्य नहीं है।

इस संबंध में दिनांक 13.03.2018 को संकायाध्यक्ष द्वारा एक पत्र भेज कर संबंधित शोधार्थी व शोध-निर्देशक को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभागीय अध्ययन मंडल की दिनांक 13.04.2018 की बैठक में विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि :

सभी उपलब्ध अभीलेखों पर विचार विमर्श के पश्चात् विभागीय अध्ययन मंडल इस निष्कर्ष पहुँचा की सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे जिस विषय पर कार्य करने की माँग कर रही है वह कभी पंजीकृत ही नहीं हुआ है । इस का मुख्य कारण यह है की निर्धारित अवधि में उन्होंने विषय परिर्वतन की मांग की ही नहीं । प्रभारी ने सूचित किया की इस संबंध में शोधार्थी को पहले ही सूचित किया जा चुका है ।

निर्णय : विभागीय अध्ययन मंडल ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की पुष्टि की ।

दो : श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव का शोध-विषय संशोधन/परिवर्तन :

बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत तथ्य :

विभागीय अध्ययन मंडल की 16.09.2017 की बैठक में पी-एच. डी. शोधार्थी, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव की शोध-विषय में संशोधन संबंधी मांग पर चर्चा हुई। पाया गया कि (i) श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव 20.07.2017 को अपनी शोध-निर्देशक के माध्यम से पूर्व प्रस्तुति हेतु आवेदन कर चुके हैं, जिसके बाद विषय-संशोधन संबंधी उनकी मांग नियमानुकूल नहीं है। (ii) जो विषय उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह पूर्व स्वीकृत विषय का संशोधित रूप न होकर नवीन विषय है, अत: शोध-अध्यादेश (45/2009, Approved on 14.03.2015 by Academic Council) के नियम/परिनियम (5.5) के अनुसार भी उनकी मांग पर विचार नहीं किया जा सकता। दोनों कारणों के आधार पर उनकी मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके पश्चात श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव ने 13.10.2017 को विभागाध्यक्ष को एक ई-मेल भेज कर दावा किया कि उन्होंने पी-एच. डी. अध्यादेश (45/2009) के अनुसरण में सभी औपचारिकताएँ पूरी की थीं, इसलिए विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा लिए गए निर्णय का आधार बताया जाए।

स्कूल बोर्ड की 08.11.2017 की बैठक में तय किया गया कि शोधार्थी की मांग पर पी-एच. डी. अध्यादेश-2016 की प्रभाव-सीमा के आलोक में विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा पुनर्विचार किया जाए।

संकायाध्यक्ष द्वारा 21.12.2017 को श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव को पत्र लिख कर आग्रह किया गया कि :

“शोध उपाधि समिति की दिनांक 18.10.2013 की बैठक में आपका शोध-विषय, “मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों (Multi Word Expressions) की समस्याएँ (अंग्रेज़ी-हिंदी के विशेष संदर्भ में)” स्वीकृत किया गया था।

आपके लिखित अनुरोध पर विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा आपका शोध विषय “मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों (Multi Word Expressions) की समस्याएँ (अंग्रेज़ी-हिंदी के

विशेष संदर्भ में)" के स्थान पर "मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी-अंग्रेज़ी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन" किया गया। इसकी अधिसूचना विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 27.11.2015 को जारी की गई। यह पूर्व विषय का संशोधित रूप न होकर नवीन विषय है।

आपने 20.09.2016 को दूसरी बार आवेदन किया कि आपका शोध विषय "मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी-अंग्रेज़ी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन" के स्थान पर "हिंदी-अंग्रेज़ी बहुशब्दीय अभिव्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : मशीनी अनुवाद के संदर्भ में" स्वीकृत किया जाए। आपने इसे अपने शोध विषय में आंशिक परिवर्तन बताया है, जबकि यह आपके वर्तमान शोध-विषय से नितांत भिन्न एक नवीन शोध-विषय प्रतीत होता है।

कृपया बताएँ कि-

आपके द्वारा 20.09.2016 के आवेदनपत्र में प्रस्तावित शोध विषय किन आधारों पर आपको दूसरी बार प्रदान किए जा चुके शोध विषय में संशोधन मान लिया जाए।"

श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव ने 22.12.2017 को ई-मेल भेज कर सूचित किया कि पत्र का उत्तर वे नहीं देंगे, बल्कि उनकी शोध-निर्देशक देंगी। संकायाध्यक्ष ने 11.01.2018 को पुन: एक पत्र द्वारा श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव से आग्रह किया कि वे संदर्भित पत्र का उत्तर दें, लेकिन उन्होंने उक्त पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद भी उन्हें एक स्मरणपत्र दिनांक 21.03.2018 को दिया गया, किंतु उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। सूचनीय है कि विभागीय अध्ययन मंडल की 16.09.2017 की बैठक में भी शोधार्थी और शोध-निर्देशक में से किसी के द्वारा भी विषय संशोधन/परिवर्तन संबंधी कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था।

नए पी-एच. डी. अध्यादेश में शोध-विषय परिवर्तन संबंधी प्रावधान :

नए पी-एच. डी. अध्यादेश (Modified as per UGC Regulation, 2016) में विषय परिवर्तन के संबंध में व्यवस्था है कि, "The concerned topic may be changed within one year from the date of registration".

विचार करने पर पाया गया कि **शोधार्थी ने अपना आवेदन पंजीकरण के लगभग चार वर्ष बाद प्रस्तुत किया है।**

श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव के शोध विषय के परिवर्तन के संदर्भ में प्रस्तुत तथ्यों/ दस्तावेजों के संदर्भ में संपूर्ण पत्राचार का अध्ययन करने के बाद विभागीय अध्ययन मंडल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शोधकर्ता द्वारा प्रस्तावित परिवर्तित विषय पंजीकृत ही नहीं हुआ है। परिवर्तन संबंधी नियमावली के अनुसार यह परिर्वतन संभव भी नहीं था । यह भी अनुभव किया गया कि पूरी प्रक्रिया में शोधार्थी ने सतत असहयोग किया है ।

निर्णय : यह प्रकरण अध्यादेश 2016 के अनुसरण में भी नियमानुकूल नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

तीन : शोध-कार्य और नियम-पालन में की गई अनियमितता :

बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत तथ्य :

पी-एच. डी. शोधार्थी, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव का शोध-विषय **"मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी-अंग्रेज़ी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन"** है। उन्होंने अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्यक्ष को संबोधित एक आवेदनपत्र, दिनांक 20.07.2017 को अपनी शोध-निर्देशक के माध्यम से दिया, जिसमें में दावा किया कि उनका शोध-विषय **"हिंदी-अंग्रेजी बहुशब्दीय अभिव्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन : मशीनी अनुवाद के संदर्भ में" (Analytical Study of Hindi-English Multiword Expressions: With Reference to Machine Translation)** है और वे उस पर शोध-कार्य जमा करने हेतु निर्धारित **पूर्व-प्रस्तुति** देना चाहते हैं। यह शोध-विषय श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव को कभी भी प्रदान नहीं किया गया। स्पष्ट है कि शोधार्थी का यह कार्य गंभीर अनियमितता और शोध-अध्यादेश का उल्लंघन है। शोधार्थी को तीन बार पत्र लिख कर कारण स्पष्ट करने का आग्रह किया गया, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

बैठक में यह भी पाया गया कि शोधार्थी ने अपने मासिक शोध प्रगति प्रतिवेदनों में बार-बार अपने शोध विषय बदले हैं, जो पुन: एक गंभीर मामला है।

शोधार्थी के व्यवहार तथा उनके द्वारा की गई अनियमितता संबंधी प्रकरण पर विभागीय अध्ययन मंडल की दिनांक 13.04.2018 की विशेष बैठक में विचार किया गया । प्रस्तुत तथ्यों

और दस्तावेजों पर विचार करकें विभागीय अध्ययन मंडल इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शोध छात्र गंभीर अनुशासनहीनता, अनियमितता और असहयोग का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता रहा है । किसी भावी निर्णय के पूर्व उसका प्रामाणिक स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

निर्णय : यह निर्णय लिया गया कि शोधार्थी द्वारा वांछित प्रामाणिक स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद ही उसके शोध प्रकरण के संबंध में कोई भी कार्यवाही की जाए ।

चार : पी-एच. डी. शोधार्थी श्री चिप्पाडा अंबेडकर का आकस्मिक राशि भुगतान प्रकरण :

बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत तथ्य :

पी-एच. डी शोधार्थी, श्री चिप्पाडा अंबेडकर द्वारा RGNF शोधवृत्ति के अंतर्गत आकस्मिक राशि भुगतान के लिए किए गए आवेदन के साथ संलग्न प्रमाणों और दी गई सूचनाओं की विभाग द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि शोधार्थी ने (i) जिन कथित शोध यात्राओं के लिए यात्रा-टिकट संलग्न किए हैं, उनके लिए विभाग से कोई लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की। (ii) किसी भी शोध-यात्रा से लौट कर किए गए शोध-कार्य/संकलित सामग्री का विवरण/प्रतिवेदन विभाग में प्रस्तुत नहीं किया। (iii) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के छात्रावास में कक्ष अपने अधिकार में रखा और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रावास के कक्ष में रहने का बिल भी प्रस्तुत किया।

विभाग द्वारा उपर्युक्त के बारे में पूछे जाने पर शोधार्थी ने जो स्पष्टीकरण दिया, वह संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके पश्चात पत्रावली संकायाध्यक्ष के समक्ष कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की गई। संकायाध्यक्ष ने विभाग की टिप्पणी संदर्भित शोधार्थी को भेजते हुए आग्रह किया कि वे आवश्यक प्रमाणों सहित अपना स्पष्टीकरण अपनी शोध–निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करें। शोधार्थी ने पुन: कोई सटीक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने लिखा कि- **"फिर भी अधिष्ठाता महोदय, आकस्मिक राशि का समायोजन के लिए इस तरह प्रश्न पूछना दुखदायक है। इस तरह के प्रश्न अभी तक किसी विश्वविद्यालय और किसी विभाग ने नहीं पूछा।", "मेरे पी-एच. डी. जमा करने के अंतिम समय में इसी तरह मानसिक उत्पीड़न करना विभाग को उचित नहीं है इस के कारण मेरा समय बहुत व्यर्थ हो रहा है।"** आदि। शोधार्थी का यह पत्र शोध-निर्देशक द्वारा संस्तुत और अग्रेषित किया गया और कुलपति, कुलसचिव, विभागाध्यक्ष, अकादमिक विभाग, वित्त विभाग को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई, अत: निरुपाय होकर संकायाध्यक्ष ने शोध-निर्देशक, डॉ. अन्नपूर्णा-चर्ल को पत्र लिख कर इस प्रकरण के बारे में उनका अभिमत जानना चाहा, लेकिन उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया।

विचारणीय है कि पी-एच. डी. शोधार्थी श्री चिप्पाडा अंबेडकर को किए जाने वाले आकस्मिक राशि के भुगतान के विषय में विभाग को यह अभिप्रमाणित करना है कि **"Certified that the contingency issued to the above scholar has been utilized for the purpose it was sanctioned".** इस दशा में यह आवश्यक है कि (i) शोधार्थी द्वारा की गई यात्राएँ (शोध-कार्य/संगोष्ठी/कार्यशाला आदि से संबंधित) शोध-विषय से जुड़ी हुई हों और शोध-निर्देशक की संस्तुति व विभाग की लिखित अनुमति लेकर की गई हों। (ii) शोधार्थी द्वारा प्रत्येक शोध-यात्रा से लौट कर किए गए कार्य/संकलित सामग्री का विवरण तथा एक प्रतिवेदन विभाग में प्रस्तुत किया जाए और उसे जाँच में संतोषजनक पाया जाए। (iii) शोधार्थी द्वारा क्रीत पुस्तकें/ फ़ोटोस्टेट कराई गई सामग्री का निकट संबंध शोध-विषय से हो और वह विश्वविद्यालय-पुस्तकालय में उपलब्ध न हो। (iv) विस्वविद्यालय परिसर/मुख्यालय के बाहर दीर्घकालीन आवास हेतु निर्धारित नियमों का पालन किया गया हो।

सूचनीय है कि श्री चिप्पाडा अंबेडकर का शोध-विषय, "तेलुगु-हिंदी यंत्र अनुवाद प्रणाली का मूल्यांकन" है। पूर्व प्रस्तुति के समय उनके द्वारा सूचित किया गया है कि वे "अनुसारका" नामक मशीनी अनुवाद-प्रणाली का मूल्यांकन कर रहे हैं। स्पष्ट है कि उन्हें प्रदान की जाने वाली शोधवृत्ति और उसके अंतर्गत प्राप्त आकस्मिक राशि का उपयोग शोध-विषय/शोध-क्षेत्र की सीमा में किया जाना चाहिए।

शोधार्थी द्वारा आकस्मिक-राशि के भुगतान के लिए प्रस्तुत जो प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध हैं, उनकी जाँच के बाद पाया गया कि- (i) श्री चिप्पाडा अंबेडकर ने विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम, काकीनाड़ा टाउन, गुन्टूर, चेन्नई, दानापुर, विजयानगरम, इलाहाबाद, कोंडापल्ली, कल्याण, राजमुन्द्री, दादर, हैदराबाद आदि की यात्राएँ की हैं, जिनके लिए शोध-निर्देशक की संस्तुति के आधार पर विभाग से प्राप्त अनुमति का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। (ii) शोधार्थी द्वारा किसी भी शोध/संगोष्ठी/कार्यशाला संबंधी यात्रा से लौट कर विभाग में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। (iii) शोधार्थी द्वारा अपने शोध-विषय/शोध-क्षेत्र से संबंधित पुस्तकें न खरीदी जाकर, रेणु संचयिता, नामवर सिंह, तुलनात्मक साहित्य : सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, समाजविज्ञान विश्वकोश आदि ग्रन्थों की क्रय-रसीदें संलग्न की गई हैं और प्रत्येक रसीद पर "शोध-कार्य से संबंधित पुस्तक खरीदी" टिप्पणी लिखी गई है। यही हाल फ़ोटोस्टेट कराई गई सामग्री का भी है। (iv) शोधार्थी द्वारा विश्वविद्यालय छात्रावास में आवंटित कक्ष अपने अधिकार में रखने के बावजूद अन्य विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि पत्रावली में इस संबंध में विश्वविद्यालय/विभाग द्वारा दी गई अनुमति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार श्री चिप्पाडा अंबेडकर ने 1 अप्रैल, 2016 को सरकारी सेवा में पदभार ग्रहण कर लिया था, जबकि वे छत्रवास में एक कक्ष 29.12.2016 तक

अपने अधिकार में रखे रहे। विचारणीय है कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए आवास-भत्ता प्राप्त किया या नहीं।

प्रस्तुत प्रकरण विचार और निर्णय हेतु माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने **निर्देशित किया है कि ....**

इस निर्देश के आलोक में संपूर्ण प्रकरण विभागीय अध्ययन मंडल की दिनांक 13.04.2018 की विशेष बैठक में प्रस्तुत किया गया। निर्णय लिया गया कि :

निर्णय : श्री चिप्पाडा अंबेडकर के प्रकरण से अध्ययन मंडल अवगत हुआ और माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार की जा रही कार्यवाही को नियमानुकूल माना।

पाँच : पी-एच. डी. शोधार्थी, सुश्री मेघा आचार्य के शोध-विषय में संशोधन :

बैठक में सूचना हेतु प्रस्तुत तथ्य :

विभागीय अध्ययन मंडल की 16.09.2017 की बैठक में पी-एच. डी. शोधार्थी, सुश्री मेघा आचार्य की शोध-शीर्षक में संशोधन संबंधी मांग को (i) शोधार्थी द्वारा पूर्व स्वीकृत विषय पर शोध-प्रबंध जमा करने हेतु पूर्व-प्रस्तुति दे दिए जाने और (ii) संशोधन की मांग पी-एच. डी. अध्यादेश के अनुकूल न होने का उल्लेख करते हुए **विचार योग्य नहीं माना था**। किंतु-

अकादमिक विभाग द्वारा जारी कार्यालयादेश क्रमांक: 20/2012/पी-एच. डी./C/406, दिनांक: 16.10.2017 के माध्यम से पी-एच. डी. शोधार्थी, सुश्री मेघा आचार्य के शोध-शीर्षक में सक्षम निकाय (यों) की **कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में परिवर्तन** किया गया है।

स्कूल बोर्ड की 08. 11. 2017 की बैठक में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आलोक में कार्योत्तर स्वीकृति प्रकरण को विभागीय अध्ययन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने संबंधी निर्णय किया गया था।

विभागीय अध्ययन मंडल की दिनांक 13.04.2018 की विशेष बैठक में निर्णय लिया गया :

निर्णय : विभागीय अध्ययन मंडल सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत हुआ। इसी के साथ सुश्री मेघा आचार्य एवं श्री चिप्पाडा अम्बेडकर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए शोध अवधि विस्तार से भी अवगत हुआ।

छः : एम. फिल. शोधार्थी, श्री विष्णु शिवरकर का प्रकरण :

बैठक में प्रस्तुत तथ्य :

कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालयादेश पत्रांक: 005/2013/डीटीटी/10(4-1)/145, दिनांक 18.04.2017 के अनुसरण में विभागीय समिति ने संदर्भित शोधार्थी को पूर्व घोषित विषय पर शोध-कार्य जमा करने का निर्देश देने का निर्णय किया था और तदनुसार विभाग द्वारा पत्र प्रेषित कर दिया गया था। स्कूल बोर्ड की 08. 11. 2017 की बैठक में इस निर्णय को विभागीय अध्ययन मंडल की बैठक में रखे जाने का निर्णय किया गया था।

उक्त निर्णयानुसार प्रकरण विभागीय अध्ययन मंडल की दिनांक 13.04.2018 की विशेष बैठक में प्रस्तुत किया गया। निर्णय लिया गया कि :

निर्णय : विभागीय अध्ययन मंडल ने विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को नियमानुकूल माना।

सात : पाठ्यक्रम को अधिक रोजगारोन्मुखी एवं प्रशिक्षण आधारित रूप दिए जाने की आवश्यकता :

अनुवाद अध्ययन अनुशासन मूलत: रोजगारोन्मुखी एवं प्रशिक्षण आधारित है, इसीलिए पूर्व पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन/परिवर्धन किए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा लागू CBCS (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) के अंतर्गत उसे पुन: नया रूप दिया गया। अद्यतन बनाए रखने की आवश्यकता के अंतर्गत अनुभव किया जा रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम को अधिक रोजगारोन्मुख एवं अधिक प्रशिक्षण आधारित रूप दिया जाए। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए एक पाठ्यक्रम संवर्धन कार्यशाला आयोजित किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के आलोक में एक पाठ्यक्रम संवर्धन कार्यशाला आयोजित किए जाने का प्रस्ताव विचार एवं निर्णय हेतु विभागीय अध्ययन मंडल की दिनांक 13.04.2018 की विशेष बैठक में प्रस्तुत किया गया। निर्णय लिया गया :

निर्णय : विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

आठ : अन्य विषय :

दूर शिक्षा निदेशालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शैलेश मरजी कदम द्वारा अनुवाद अध्ययन विभाग में शोध निर्देशक बनाए जाने संबंधी आवेदन पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

विभागीय अध्ययन मंडल में सर्वसम्मति से राय दी कि नियम एवं परंपरा के अनुकूल शोध निर्देशन का कार्य विभागीय प्राध्यापक ही करते है । इस लिए विभागीय अध्ययन मंडल में शोध निर्देशक की पात्रता संबंधी विचार केवल विभागीय प्राध्यापकों के संदर्भ में ही किया जा सकता है ।

निर्णय : यह निर्णय किया गया कि डॉ. शैलेश मरजी कदम के आवेदन पत्र पर विचार किया जाना विभागीय अध्ययन मंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी)	(डॉ. हरप्रीत कौर)	(डॉ. हिमाद्री शाईकिया)
(प्रो. रामजी तिवारी)	(डॉ. राम प्रकाश यादव)	(प्रो. देवराज)

BOS में सूचनाएँ गलत प्रस्तुत की गईं। पाठ्यक्रम, मेधा आचार्य और विष्णु शिवरकर के मामले को छोड़कर शेष सभी से असहमत

डॉ. हरप्रीत कौर के एक मामले को छोड़कर शेष सभी असहमत

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

स्कूल बोर्ड की बैठक

08. 11. 2017

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 08.11.2017 को संपन्न बैठक का उपस्थिति विवरण निम्नानुसार है :

प्रो. देवराज	:	अध्यक्ष,
डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी	:	सहायक प्रोफेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग, सदस्य
डॉ. राजीव रंजन राय	:	सहायक प्रोफेसर एवं प्रभारी विभागाध्यक्ष, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग, सदस्य,
डॉ. राम प्रकाश यादव	:	प्रभारी विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग (विशेष आमंत्रित सदस्य)
डॉ. मिलिंद पाटिल	:	पी.डी.एफ., अनुवाद अध्ययन विभाग, भूतपूर्व विद्यार्थी सदस्य
प्रो. चंद्रशेखर भट्ट	:	बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य

स्कूल बोर्ड के दूसरे बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य, प्रो. अवधेश कुमार सिंह को बैठक की सूचना और कार्य-सूची प्रेषित की गई थी, किंतु वे अज्ञात कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

पारित प्रस्ताव, निर्णय, संस्तुतियाँ एवं अभिमत

01) स्कूल बोर्ड की पूर्व कार्यवाही की पुष्टि

असाधारण परिस्थितियों में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के विभागीय अध्ययन मण्डल की 27 अप्रैल, 2017 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त नव गठित स्कूल बोर्ड के सदस्यों को इ-मेल द्वारा अभिमत हेतु प्रेषित किया गया था। इस कार्यवृत्त को 29 अप्रैल, 2017 की विद्या परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

किया गया। विद्या परिषद ने स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई को सही माना और कार्यवृत्त में दर्ज़ निर्णयों को अनुमोदित किया।

कार्यवाही की पुष्टि का प्रस्ताव स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : स्कूल बोर्ड अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत हुआ और उसकी पुष्टि की।

02) अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक का कार्यवृत्त

अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 16.09.2017 को संपन्न हुई। THE MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA ACT, 1996 (3 of 1997) के परिनियम(2) 8 और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), संशोधित प्रशासनिक अध्यादेश (11से 49) के **Ordinance 19** तथा पी-एच. डी. एवं एम.फिल. अध्यादेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान के अनुसार बैठक की अध्यक्षता संकायाध्यक्ष द्वारा की जानी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर होने के कारण संकायाध्यक्ष के अनुरोध पर बैठक का आयोजन और अध्यक्षता प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा की गई।

2.1) पी-एच. डी. शोध निर्देशक एवं शोध विषय अनुमोदन :

स्कूल बोर्ड को सूचित किया गया कि विभागीय अध्ययन मंडल ने 20. 09. 2016 की बैठक में Ph. D. Ordinance No. 45/2009 (Approved on 14.03.2015 by Academic Council) के अनुच्छेद 2.6 द्वारा उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलदीप कुमार पाण्डेय, जीतेन्द्र, विजय करन, उपासना गौतम और आकांक्षा मोहन को पी-एच. डी. हेतु शोध-निर्देशक प्रदान किए थे, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 005/2013/DTT/10 (4-1)/231, दिनांक 01.06.2017 जारी की गई थी। स्कूल बोर्ड विभागीय अध्ययन मंडल की कार्रवाई से अवगत हुआ। स्कूल बोर्ड को यह भी सूचित किया गया कि एक वर्ष की अवधि में संदर्भित शोधार्थियों ने अपने शोध-निर्देशकों के निर्देशन में शोध-प्रस्ताव निर्मित किए और अपने-अपने शोध-विषयों पर कार्य आगे बढ़ाया।

विभागीय अध्ययन मंडल ने 16. 09. 2017 की बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि इन शोधार्थियों के शोध-विषय अनुमोदित किए जाएँ और इन्हें अंतिम निर्णय (Final Approval) के लिए स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अध्ययन मंडल का प्रस्ताव निम्नानुसार विचार एवं अंतिम निर्णय (Final Approval) हेतु स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया :

Rajiv

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	शोधार्थी का नाम एवं पंजीयन संख्या	अनुमोदित शोध विषय	शोध निर्देशक
1	कुलदीप कुमार पाण्डेय 2016/04/317/002	'The Mysterious Ailment of Rupi Baskey' का हिंदी अनुवाद और अनूदित पाठ के आधार पर संथाली जनजातीय जीवन का अध्ययन	प्रो. देवराज
2	जीतेन्द्र 2016/04/317/005	सामाजिक अंतरक्रिया में अनुवादक की भाषा पर सामाजिक कारकों का प्रभाव	प्रो. देवराज
3	विजय करन	हिंदी से अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में सज्ञा, क्रिया, एवं विशेषण के संदिग्धार्थक शब्दों का विसंदिग्धीकरण: एक नियम आधारित अभिगम	डॉ. राम प्रकाश यादव
4	उपासना गौतम	वृत्तचित्रों में जनप्रतिरोध का निर्वचन आधारित अध्ययन	डॉ. हरप्रीत कौर
5	आकांक्षा मोहन 2016/04/317/003	हिंदी में स्त्री-विमर्श के विकास में अनुवाद की भूमिका (संदर्भ : भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित महिला रचनाकारों के उपन्यास)	डॉ. हरप्रीत कौर

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड विभागीय अध्ययन मंडल के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है और संस्तुति करता है कि संदर्भित शोधार्थियों के-- सूची में उल्लिखित, शोध-विषय पंजीकरण हेतु स्वीकार किए जाएँ।

2.2) एम. फिल. शोध-विषय एवं निर्देशक :

क) अध्ययन मंडल ने 16. 09. 2017 की बैठक में M. Phil. Ordinance No. 56/2014 द्वारा उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित निम्नांकित सूची में दर्शित शोधार्थियों के नामों के सामने अंकित शोध विषय एवं शोध-निर्देशक (विष्णु शिवरकर को छोड़ कर) स्वीकृत करने का निर्णय किया।

निर्णय निम्नानुसार स्कूल बोर्ड की सूचना और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया :

Rajeev

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	शोधार्थी का नाम एवं पंजीयन संख्या	अनुमोदित विषय	शोध निर्देशक
1.	रिंकी कुमारी	'तिरिया चरित्तर' के सिनेमा संस्करण का अंतरप्रतीकात्मक अध्ययन	डॉ. हरप्रीत कौर
2.	वर्षा उभाले	मराठी से हिंदी में अनूदित काव्यकृति 'आधा आसमां सर पर' का अनुवादपरक मूल्यांकन	डॉ. हरप्रीत कौर
3.	आशीष कुमार पाण्डेय 2016/04/219/006	'The Cost of Love : A Common Man's Love Story' उपन्यास का हिंदी अनुवाद और अनुवाद संबंधी समस्याओं का अध्ययन	प्रो. देवराज
4.	अनुज कुमार गौतम 2016/04/219/003	ऐतिहासिक पर्यटन के विकास में निर्वचन की भूमिका (दिल्ली राज्य के 12वीं से 20 वीं शताब्दी के मध्य निर्मित स्मारकों के संदर्भ में)	प्रो. देवराज
5.	वी. अलीशा	'Who wrote my destiny' के हिंदी अनुवाद का अनुवादपरक विश्लेषण **(शोध-विषय संशोधित किया गया)**	प्रस्ताव सं. 2.4 के अंतर्गत विचारणीय
6.	अक्षय लोहट	विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में अधिगम : अनुवाद की भूमिका	प्रस्ताव सं. 2.4 के अंतर्गत विचारणीय
7.	वर्षा अशोकराव विघ्ने 2016/04/219/012	बौद्ध पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद एवं निर्वचन की भूमिका (महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विशेष संदर्भ में)	डॉ. राम प्रकाश यादव
8.	विशाल आनंदराव सयाम 2016/04/219/013	परधान बोली के लोकगीतों में हिंदी अनुवाद: समस्या और समाधान **(शोध-विषय संशोधित किया गया)**	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
9.	दीपिका काशीनाथ मंडवधरे	संत गाडगे बाबा के चयनित कीर्तनों का हिंदी अनुवाद : समाजभाषापरक अध्ययन	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
10.	अपर्णा पिराजी माने 2016/04/219/005	चिकित्सा पर्यटन में अनुवाद और निर्वचन की भूमिका (नागपुर शहर के अस्पतालों के संदर्भ में)	डॉ. राम प्रकाश यादव
11.	ज़ीनत उल खुशबू	बांग्ला एवं हिंदी मुहावरों का समाजभाषापरक अध्ययन (अनुवाद के विशेष संदर्भ में)	डॉ. राम प्रकाश यादव
12.	विष्णु शिवरकर	मराठी संज्ञा आधारित व्युत्पादक रूपिम सर्जक **(टिप्पणी: आवेदन एवं संलग्न शोध-प्रस्ताव के विषयों में साम्य नहीं।)**	डॉ. अन्नपूर्णा-सी.

स्कूल बोर्ड का निर्णय :

(i) स्कूल बोर्ड दवारा वी. आलीशा और विशाल आनंदराव सयाम के शोध विषय संशोधित करके निम्नानुसार स्वीकाए किए जाते हैं :

Rajew

Scanned by CamScanner

- पी. आलीशा का शोध विषय :'किसने मेरा भाग्य लिखा' का अनुवादपरक विश्लेषण ।
- विशाल आनंदराव सयाम का शोध विषय : परधान जनजाति की बोली के लोकगीतों का हिंदी अनुवाद : समस्या और समाधान ।

(II) विष्णु शिवरकर के शोध-विषय संबंधी प्रकरण पर अलग से विचार करने का निर्णय लिया जाता है।

(III) सूची में उल्लिखित अन्य सभी शोधार्थियों के शोध विषयों के संदर्भ में अध्ययन मंडल की स्वीकृति का अनुमोदन किया जाता है।

ख) विष्णु शिवरकर के प्रकरण पर विचार :

विष्णु शिवरकर संबंधी प्रकरण अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर निम्नांकित रूप में स्कूल बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :

अध्ययन मंडल के कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 5 के अंतर्गत अंकित है कि "श्री विष्णु शिवरकर का आवेदन दि. 15.09.2017 को विभाग में प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना शोध का विषय "मराठी-हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली (मराठी फिल्म जगत के विशेष संदर्भ में) बताते हुए प्रस्तुत किया है, परंतु संलग्न शोध प्रारूप "मराठी संज्ञा आधारित व्युत्पादक रूपिम सर्जक" (मशीन अनुवाद के विशेष संदर्भ में) इस विषय पर है, जो कि मूल से भिन्न है। यह पत्र भी आपत्तिजनक है। दिनांक 20/06/2017 को विभागाध्यक्ष की हैसियत से हस्ताक्षरित पत्र दि. 15/09/2017 को विभाग में प्रस्तुत किया है, जबकि इस समय वह हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

अतः शोधार्थी पत्र में उल्लिखित शोध प्रारूप प्रस्तुत करना चाहता है तो शोध निर्देशक के माध्यम से इसे प्रस्तुत करें और इसका निर्धारण विभागाध्यक्ष विभागीय समिति के द्वारा करें।........ "

प्रकरण पर विचार करते समय अनुवाद अध्ययन विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि 06 अक्तूबर, 2017 को आयोजित विभागीय बैठक में विष्णु शिवरकर के प्रकरण के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव पारित किया गया है :

विभागीय बैठक में पारित प्रस्ताव : 3 (iii)

"कुलसचिव महोदय के कार्यालयादेश पत्रांक: 005/2013/डीटीटी/10(4-1)/145, दिनांक 18/04/2017 के अनुसार शोधार्थी को 'द्वितीय छमाही की परीक्षा देने तथा शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति' दी गई है। इस कार्यालयादेश में समय का उल्लेख नहीं है। इसलिए विभागीय समिति यह महसूस करती है कि शोधार्थी श्री विष्णु शिवरकर को सूचित किया जा सकता है कि वे पूर्व में घोषित विषय पर यथाशीघ्र अपना शोध प्रबंध जमा करें।"

Scanned by CamScanner

प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव के आधार पर संबंधित शोधार्थी को आवश्यक पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

संदर्भित पत्र के साथ बैठक के कार्यवृत्त की प्रति स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर स्कूल बोर्ड ने पाया कि विभागीय बैठक में प्रशासन द्वारा जारी कार्यालयादेश के अनुसरण में कार्यवाही की गई है।

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड विभागीय बैठक में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करता है और निर्णय लेता है कि इसे नियमानुसार विभागीय अध्ययन मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

2.3) पी-एच. डी. शोधार्थियों के नामों में संशोधन :

अध्ययन मंडल की 20.09.2016 की बैठक के कार्यवृत्त में प्रस्ताव संख्या 01 के अंतर्गत नव-प्रवेशित 03 पी-एच. डी. शोधार्थियों के नामों की वर्तनी उनके प्रमाणपत्रों में अंकित वर्तनी से भिन्न अंकित कर दी गई थी। उसी आधार पर कुलसचिव द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 005/2013/DTT/10 (4-1)/231, दिनांक 01.06.2017 में भी उन पी-एच. डी. शोधार्थियों के नाम सही रूप में अंकित नहीं किए जा सके थे। शोधार्थियों ने अपने नामों की वर्तनी सही करने के संबंध में विभाग में आवेदन प्रस्तुत किए। अध्ययन मंडल ने अपनी 16.09.2017 की बैठक में मद सं. 04 के अंतर्गत संबंधित शोधार्थियों के नामों की वर्तनी को संशोधित करके सही किए जाने का निर्णय लिया।

निर्णय निम्नांकित विवरणानुसार स्कूल बोर्ड के विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया :

क्र. सं.	**शोधार्थी का नाम एवं पंजीयन संख्या**	**अध्ययन मंडल की 20.09.2016 की बैठक के कार्यवृत्त एवं अधिसूचना क्रमांक 005/2013/DTT/10(4-1)/231, तिथि : 01.06.2017 में नाम की टंकित वर्तनी**	**विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा संस्तुत वर्तनी**
1	विजय करन	श्री विजय करण	श्री विजय करन
2	कुलदीप कुमार पाण्डेय 2016/04/317/002	श्री कुलदीप कुमार पांडे/पाण्डे	श्री कुलदीप कुमार पाण्डेय
3	जीतेन्द्र 2016/04/317/005	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री जीतेन्द्र

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड द्वारा इस संस्तुति के साथ अध्ययन मंडल के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है कि प्रमाणपत्रों में अंकित की जाने संबंधी नियमाधारित प्रणाली को ध्यान में रखते हुए शोधार्थियों के नामों की वर्तनी **विजय करन, कुलदीप कुमार पाण्डेय** और **जीतेन्द्र** मानी जाए।

Scanned by CamScanner

2.4) **एम.फिल शोध निर्देशक परिवर्तन :**

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा अनुवाद अध्ययन विभाग की प्राध्यापिका डॉ. अन्नपूर्णा-सी. को हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्य-मुक्त कर दिए जाने के कारण अध्ययन मंडल ने अपनी 16.09.2017 की बैठक में M. Phil. Ordinance No. 56/2017, Modified as per UGC (Minimum standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 के अनुच्छेद 15.1 द्वारा उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित विवरणानुसार एम. फिल. शोधार्थियों को डॉ. अन्नपूर्णा-सी. के स्थान पर अन्य शोध निर्देशक प्रदान करने का निर्णय किया।

निर्णय निम्नानुसार अनुमोदन हेतु स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया :

क्र. सं.	शोधार्थी का नाम	शोध विषय	पूर्व शोध निर्देशक	विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित नए शोध निर्देशक
1	अक्षय लोहट	विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में अधिगम : अनुवाद की भूमिका	डॉ. अन्नपूर्णा-सी.	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
2	टी. अलीशा	'Who wrote my destiny' के हिंदी अनुवाद का अनुवादपरक विश्लेषण	डॉ. अन्नपूर्णा-सी.	डॉ. राम प्रकाश यादव

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड द्वारा विभाग के अध्ययन मंडल के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है।

2.5) **पी-एच. डी. हेतु समयावधि विस्तार :**

अध्ययन मण्डल द्वारा दिनांक 16.09.2017 की बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 12 के अंतर्गत निम्नानुसार पी-एच. डी. शोधार्थियों को उनके नाम के सामने अंकित समयावधि विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया :

निर्णय निम्नानुसार अनुमोदन हेतु स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

i) विशेष कुमार श्रीवास्तव : 16.07.2018 तक ।
ii) अनुपमा पाण्डेय : 16.07.2018 तक ।

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड द्वारा विभाग के अध्ययन मंडल के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है।

2.6) **विशेष कुमार श्रीवास्तव द्वारा शोध विषय में परिवर्तन की मांग :**

अध्ययन मण्डल की दिनांक 16.09.2017 की बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 11 के अंतर्गत दर्ज़ विवरण के अनुसार विशेष कुमार श्रीवास्तव ने दूसरी बार अपने शोध विषय में परिवर्तन के लिए आवेदन किया था। अध्ययन मंडल ने निर्णय किया कि विशेष कुमार श्रीवास्तव के

Scanned by CamScanner

"रजिस्ट्रेशन को चार वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अत: ऐसी स्थिति में अध्यादेश के अनुसार परिवर्तन किए जाने का कोई नियम नहीं है।"

स्कूल बोर्ड का निर्णय : अध्ययन मंडल नया पी-एच. डी. अध्यादेश लागू किए जाने और उसकी प्रभाव-सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे।

2.7) डॉ. अन्नपूर्णा-सी के निर्देशन में कार्यरत पी-एच. डी. एवं एम. फिल. शोधार्थियों का शोध-निर्देशन संबंधी प्रकरण :

क) **पी-एच. डी. प्रकरण :** अध्ययन मण्डल की दिनांक 16.09.2017 की बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या सं 10 .के अंतर्गत दर्ज़ है कि "प्रो. अन्नपूर्णा-सी. के आवेदन पर विचार किया गया। उनके आवेदन को ध्यान में रखते हुए उनके निर्देशन में कार्यरत पी-एच. डी. शोधार्थियों को उनके निर्देशन में यथावत रखा जाएगा।"

विचारणीय तथ्य :

(i) निर्णय के आधार के रूप में केवल संबंधित शोध निर्देशक के आवेदन का उल्लेख है, जिसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

(ii) कार्यवृत्त में यह नहीं दर्शाया गया है कि डॉ. अन्नपूर्णा-सी. हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहते हुए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में रह कर शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों का शोध निर्देशन किस प्रकार कर पाएँगी।

स्कूल बोर्ड का निर्णय : शोधार्थियों की शोध-निर्देशक से निर्देशन प्राप्त करने संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन मंडल अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और संबंधित पी-एच. डी. शोधार्थियों को सह शोध-निर्देशक प्रदान किए जाने के बारे में निर्णय करे।

(ख) **एम. फिल. प्रकरण :** कार्यवृत्त की मद संख्या 05 के अंतर्गत विष्णु शिवरकर के शोध

निर्देशन के संबंध में निर्णय दर्ज़ है कि "चूँकि यह पुराना प्रकरण है, इसलिए शोधार्थी का निर्देशन प्रो. अन्नपूर्णा-सी. के शोध निर्देशन में यथावत रखा जाता है।"

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड द्वारा विभागीय अध्ययन मंडल के निर्णय का अनुमोदन किया जाता है।

2.8) कार्यवृत्त के अंग के रूप में संलग्न दस्तावेज़ में दर्ज़ निर्णय :

प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा 27.09.2017 को अध्ययन मण्डल के बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य सहित 16.09.2017 की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को एक ई मेल, "अध्ययन मण्डल

Rajeev

Scanned by CamScanner

की दिनांक 16.09.2017 की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में" भेजा गया था। इस ई-मेल में, बैठक में ...रित, किंतु कार्यवृत्त में अंकित होने से रह गए, निम्नांकित प्रकरण कार्यवृत्त में सम्मिलित कि... जाने की सूचना प्रेषित की गई थी। सभी सदस्यों ने इस संबंध में अपनी सहमति से प्रभारी विभागाध्यक्ष को अवगत कराया, अतः इसे अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवृत्त का हिस्सा माना गया तथा उक्त दस्तावेज़ में अंकित प्रकरण और उनका विवरण विचार तथा निर्णय हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :

...) मेघा आचार्य द्वारा शोध-विषय में संशोधन की मांग :

संदर्भित दस्तावेज़ में मद संख्या 1 के अंतर्गत दर्ज़ है कि "पी-एच. डी. शोधार्थी सुश्री मेघा आचार्य के शोध विषय में संशोधन की मांग की गई थी। अध्ययन मंडल को यह सूचना दी गई कि शोधार्थी ने स्वीकृत विषय पर पूर्व प्रस्तुति सेमिनार दिनांक 07.09.2017 को दे दिया है। उल्लेखनीय है कि इनकी शोध हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। माननीय कुलपति महोदय द्वारा इन्हें शोध प्रबंध जमा करने हेतु तीन माह की अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई है, जिसमें से लगभग आधा समय व्यतीत हो गया है।

अध्ययन मंडल की बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि शोधार्थी की स्वीकृत विषय पर पूर्व प्रस्तुति मौखिकी आयोजित हो चुकी है और विश्वविद्यालय के पी-एच. डी. अध्यादेश के नियम 5.5 (I) के आलोक में उक्त प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता।"

प्रकरण पर विचार करते समय प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि सहायक कुलसचिव (अकादमिक) द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी कार्यालयादेश क्रमांक: 20/2012/पी-एच. डी./C/406 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पी-एच. डी. शोधार्थी मेघा आचार्य के शोध-शीर्षक में सक्षम निकाय (यों) की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में परिवर्तन कर दिया गया है। कार्यालयादेश की प्रति भी स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

स्कूल बोर्ड का निर्णय : सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आलोक में इस प्रकरण को विभागीय अध्ययन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

...) सी. एच. अम्बेडकर का प्रकरण :

संदर्भित दस्तावेज़ में मद संख्या 2 के अंतर्गत दर्ज़ है कि "श्री सी. एच. अम्बेडकर, जो कि **ECIL** मुम्बई में कार्यरत हैं, की पी-एच. डी. शोध हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः अध्ययन मंडल की बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के पी-एच. डी. अध्यादेश के नियम 7.2 एवं 7.3 के आलोक में उक्त प्रकरण पर अध्ययन मंडल में विचार नहीं किया जा सकता।

अध्ययन मंडल को यह सूचना दी गई कि शोधार्थी के प्रकरण को उचित माध्यम द्वारा आवश्यक कार्यवाही एवं मार्ग दर्शन हेतु पूर्व में प्रेषित किया गया है।"

प्रकरण पर विचार करते समय संकायाध्यक्ष और प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा स्कूल बोर्ड को सूचित किया गया कि सहायक कुलसचिव (अकादमिक) द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी कार्यालयादेश पत्रांक: 20/2012/पी-एच. डी./फ़ेलोशिप/37/396, दिनांक 10.10.2017 द्वारा शोधार्थी

Scanned by CamScanner

को शोध अवधि विस्तार प्रदान किया जा चुका है। कार्यालयादेश की प्रति भी स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

स्कूल बोर्ड का निर्णय : सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आलोक में इस प्रकरण को विभागीय अध्ययन मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

2.9) अध्ययन मंडल की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

किसी सांविधिक निकाय द्वारा अपनी वर्तमान बैठक में पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एक प्रक्रियागत विषय है और उसके अधिकार की सीमा में आता है। साधारण अवस्था में स्कूल बोर्ड के संज्ञान हेतु कार्यवृत्त में उसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन अध्ययन मंडल की दिनांक 16/09/2017 की बैठक के कार्यवृत्त में अध्ययन मंडल की 20.09.2016 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित कारणों से स्कूल बोर्ड को विचार करने और अनुवाद अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल को सलाह देने को बाध्य करती है :

विचारणीय कारण :

क) अध्ययन मंडल की 20.09.2016 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में प्रस्ताव संख्या 05 के अंतर्गत अंकित है कि "अन्य विषयों के अंतर्गत शोधार्थियों के शोध विषय के आंशिक परिवर्तन के बारे में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रस्तुति के समय पर इसे रखा जाए।"

ख) अध्ययन मंडल की 16.09.2017 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त के अंग के रूप में प्रस्तावित, स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष को प्राप्त दस्तावेज़, "अध्ययन मंडल की दिनांक 16/09/2017 की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में" के पहले बिंदु के अंतर्गत कहा गया है, कि "...... शोधार्थी ने स्वीकृत विषय पर पूर्व प्रस्तुति सेमिनार दिनांक 07.09.2017 को दे दिया है।.....

"अध्ययन मंडल की बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि शोधार्थी की स्वीकृत विषय पर पूर्व प्रस्तुति मौखिकी आयोजित हो चुकी है और विश्वविद्यालय के पी-एच. डी. अध्यादेश के नियम 5.5 (i) के आलोक में उक्त प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सकता।"

इस निर्णय का समर्थन अध्ययन मंडल के बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य और बैठक में उपस्थित समस्त विभागीय सदस्यों द्वारा किया गया है।

ग) स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार हेतु यह तथ्य भी प्रस्तुत किया जाता है कि अध्ययन मंडल की 20.09.2016 को संपन्न बैठक में उपस्थित विभागीय सदस्य के रूप में प्रो. देवराज द्वारा उक्त बैठक के कार्यवृत्त में अंकित प्रस्ताव संख्या 05 के अंतर्गत निर्णय पर आपत्ति दर्ज़ कराई गई थी। इसी के साथ कुलपति महोदय के निर्देश पर संकायाध्यक्ष के रूप में इस निर्णय के साथ संदर्भित कार्यवृत्त में अंकित उन समस्त निर्णयों के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई थी, जो शोध अध्यादेश/नियमों के अनुकूल नहीं थे अथवा भ्रामक थे। संकायाध्यक्ष का अभिमत यथा समय विभाग की कार्यवृत्त संबंधी पत्रावली में कुलपति महोदय को निर्णयार्थ प्रेषित किया गया था।

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि :

(I)अध्ययन मंडल की 16.09.2017 को संपन्न बैठक में किया गया निर्णय अध्ययन मंडल की 20.09.2016 की बैठक में किए गए निर्णय के प्रतिकूल है।

(II) बैठक में उपस्थित विभागीय सदस्य और संकायाध्यक्ष द्वारा शोध अध्यादेश/नियमों के प्रतिकूल अंकित निर्णयों पर आपत्ति से विभागाध्यक्ष और कुलपति महोदय को अवगत कराया जा चुका है।

(III) अध्ययन मंडल की 16.09.2017 को संपन्न बैठक के निर्णय का समर्थन अध्ययन मंडल के बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य सहित समस्त विभागीय सदस्यों द्वारा किया गया है। इस दशा में अध्ययन मंडल की 20.09.2016 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त में प्रस्ताव संख्या 05 के अंतर्गत अंकित निर्णय स्वतः प्रभावहीन हो गया है।

स्कूल बोर्ड का अभिमत : स्कूल बोर्ड का अभिमत है कि विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक के कार्यवृत्त के निर्माण में शोध अध्यादेशों/नियमों की दृष्टि से अपेक्षित सावधानी बरती जानी चाहिए।

03) प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग की बैठक का कार्यवृत्त

प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के शिक्षण, विशेष रूप से शोध संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के मार्ग में आ खड़ी हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष ने THE MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA ACT, 1996 (3 of 1997) के परिनियम(2) 8 और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), संशोधित प्रशासनिक अध्यादेश (11से 49) के Ordinance 19 का अनुपालन करते हुए 09.10.2017 को एक विभागीय बैठक आहूत की। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श और लिए गए निर्णयों को अध्ययन मंडल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय भी लिया गया। लेकिन अपरिहार्य कारणवश प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक संभव नहीं हो पाई। इस दशा में 25.10.2017 की विभागीय बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि 09.10.2017 की बैठक में हुए विचार-विमर्श और लिए गए निर्णयों को स्कूल बोर्ड और उसके माध्यम से विद्या परिषद की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

स्कूल बोर्ड ने विशेष परिस्थिति में उसे प्राप्त सांविधिक और शोध संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय बैठक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, किंतु यह अभिमत भी व्यक्त किया कि भविष्य में विभागीय अध्ययन मंडल की नियमित बैठकें होनी चाहिए।

उपर्युक्त के आलोक में संदर्भित बैठक में लिए गए प्रस्ताव और निर्णय स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए।

Scanned by CamScanner

3.1) पी-एच. डी. शोधार्थियों के शोध विषयों का अनुमोदन

प्रभारी विभागाध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि विभाग में उपलब्ध दस्तावेज़ों के अनुसार प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग में निम्नांकित सूची में दर्शित पी-एच. डी. शोधार्थियों का प्रवेश उनके नामों के कॉलम में ही अंकित पंजीयन संख्या के अनुसार हुआ था। शोध-निर्देशक न होने के कारण ये शोधार्थी प्रभारी विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार एवं उनके निर्देश पर डॉ. मुन्नालाल गुप्ता के सहयोग से अपने शोध-क्षेत्र का चुनाव करके अध्ययन करते रहे। इस अवधि में इन्होंने शोध समस्या का निर्धारण करके अपने-अपने शोध प्रस्ताव भी निर्मित किए। प्रभारी विभागाध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि शोध-निर्देशक न होने संबंधी समस्या के कारण इन शोधार्थियों के शोध-विषय विभागीय अध्ययन मंडल की पिछली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।

डॉ. मुन्नालाल गुप्ता को अधिसूचना सं. पत्रांक 51/2010/अध्ययन मंडल/04/326, दिनांक 14.08.17 द्वारा शोध निर्देशक घोषित किया जा चुका है, अत: इन शोधार्थियों के शोध-विषय निम्न विवरणानुसार स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार एवं अनुमोदन (Final Approval) हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्रम संख्या	शोधार्थी का नाम एवं पंजीयन संख्या	प्रस्तावित शोध विषय
01	बृजेश कुमार सिंह 2016/04/302/001	सोशल मीडिया में प्रतिबिंबित प्रवासी भारतीय संस्कृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन An Analytical Study of Culture of Indian Diaspora as reflected in Social Media
02	संजय मांझी 2016/04/302/005	झारखंड के गुमला जिले से प्रवासित जनजातियों के सांस्कृतिक भू-परिदृश्य का अध्ययन (असम के चाय बागानों के विशेष संदर्भ में) Study of Cultural Landscape of Migrants from Gumla District of Jharkhand (With Special Reference to Tea Gardens of Assam)
03	मोनिका वर्मा 2016/04/302/004	भारत-वंशियों के उत्थान में आर्य-समाज की भूमिका: मारिशस के विशेष संदर्भ में 1903-1968 ई. Role of Arya Samaj in Upliftment of the Indian Diaspora: In the special context of Mauritius 1903-1968 AD
04	अनिल कुमार 2016/04/302/003	मारिशस के लालमाटी गाँव में भारतवंशीय समुदाय के सांस्कृतिक भू-परिदृश्य का अध्ययन The Study of Cultural landscape of Indian Community in Lallmatie Village of Mauritius
05	ईश शक्ति सिंह 2016/04/302/002	उत्तरप्रदेश से खाड़ी देशों में प्रवासन: उत्प्रवासन संचालित विकास का अध्ययन Gulf Migration from UP: Study of Remittance Driven Development

Scanned by CamScanner

स्कूल **बोर्ड का निर्णय :** स्कूल बोर्ड द्वारा सूची में उल्लिखित शोध विषयों का आवश्यक संशोधन के पश्चात अनुमोदन किया जाता है और उनके पंजीकरण की संस्तुति की जाती है। अनुमोदित शोध-विषय निम्नानुसार हैं :

01. शोधार्थी : बृजेश कुमार सिंह

अनुमोदित शोध-विषय : सोशल मीडिया (फेसबुक और ट्विटर) में प्रतिबिंबित प्रवासी भारतीय संस्कृति (Culture of Indian Diaspora as Reflected in Social Media (Face book and Twiter)

02. शोधार्थी : संजय मांझी

अनुमोदित शोध-विषय : झारखंड के गुमला ज़िले से प्रवासित जनजातियों का सांस्कृतिक भू-परिदृश्य (असम के चाय-बागानों के विशेष संदर्भ में)

Cultural Landscape of Migrants from Gumla District of Jharkhand (with special reference to Tea Gardens of Assam)

03. शोधार्थी : मोनिका वर्मा

अनुमोदित शोध-विषय : मारिशस में भारतवंशियों के उत्थान पर आर्यसमाज का प्रभाव (1903-1968 ई.)

Impact of Arya Samaj on upliftment of Indian Diaspora in Mauritius (1903-1968 AD)

04. शोधार्थी : अनिल कुमार

अनुमोदित शोध-विषय : मारिशस के लालमाटी गाँव में भारतवंशी समुदाय का सांस्कृतिक भू-परिदृश्य

Cultural Landscape of Indian Diaspora in Lallmatie Village in Mauritius

05. शोधार्थी : ईश शक्ति सिंह

अनुमोदित शोध-विषय : पूर्वी उत्तर प्रदेश से खाड़ी देशों में प्रवासन : उत्प्रवाह का विकास पर प्रभाव

Gulf Migration from Eastern Uttar Pradesh : Impact of Remittances on Development

3.3) **पी-एच. डी. शोधार्थियों को शोध-निर्देशक प्रदान किया जाना :**

प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग के प्राध्यापक डॉ. मुन्नालाल गुप्ता को अधिसूचना सं. पत्रांक 51/2010/अध्ययन मंडल/04/326, दिनांक 14.08.17 द्वारा शोध निर्देशक घोषित किया जा

Rajiv

Scanned by CamScanner

चुका है। अत: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत Ph. D. Ordinance No. 45/2017, Modified as per UGC (Minimum Standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 के संबंधित अनुच्छेद, Number of Ph. D. Seats Under a Supervisor का अनुपालन करते हुए विभागीय बैठक में डॉ. मुन्नालाल गुप्ता को निम्नांकित सूची में दर्ज़ में से चार पी-एच. डी. शोधार्थियों का शोध निर्देशक बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रस्ताव निम्न विवरणानुसार स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया :

क्रम संख्या	**शोधार्थी का नाम एवं पंजीयन संख्या**	**स्कूल बोर्ड द्वारा अनुमोदित शोध-विषय**	**प्रस्तावित शोध निर्देशक**
01	बृजेश कुमार सिंह 2016/04/302/001	सोशल मीडिया (फेसबुक और ट्विटर) में प्रतिबिंबित प्रवासी भारतीय संस्कृति (Culture of Indian Diaspora as Reflected in Social Media (Facebook and Twitter)	डा. मुन्नालाल गुप्ता
02	संजय मांझी 2016/04/302/005	झारखंड के गुमला जिले से प्रवासित जनजातियों का सांस्कृतिक भू-परिदृश्य (असम के चाय बागानों के विशेष संदर्भ में) Cultural Landscape of Migrants from Gumla District of Jharkhand (With Special Reference to Tea Gardens of Assam)	डा. मुन्नालाल गुप्ता
03	मोनिका वर्मा 2016/04/302/004	मारिशस में भारतवंशियों के उत्थान पर आर्य-समाज का प्रभाव (1903-1968 ई.) Impact of Arya Samaj on Upliftment of Indian Diaspora In Mauritius (1903-1968 AD)	डा. मुन्नालाल गुप्ता
04	अनिल कुमार 2016/04/302/003	मारिशस के लालमाटी गाँव में भारतवंशी समुदाय का सांस्कृतिक भू-परिदृश्य Cultural landscape of Indian Diaspora in Lallmatie Village in Mauritius	डा. मुन्नालाल गुप्ता
05	ईश शक्ति सिंह 2016/04/302/002	पूर्वी उत्तरप्रदेश से खाड़ी देशों में प्रवासन : उत्प्रवाह का विकास पर प्रभाव Gulf Migration from Uttar Pradesh : impact of Remittances on Development	**प्रस्ताव सं. 3.3 के अंतर्गत विचारणीय**

Rajeev

Scanned by CamScanner

स्कूल बोर्ड का निर्णय : डॉ. मुन्नालाल गुप्ता को पी-एच. डी. शोधार्थी, बृजेश कुमार सिंह, संजय गांड़ी, मोनिका वर्मा और अनिल कुमार का शोध निर्देशक बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

3.3) **पी-एच. डी. शोधार्थी, ईश शक्ति सिंह को शोध-निर्देशक प्रदान किया जाना :**

पद संख्या 3.2 के अंतर्गत विद्यमान सूची में क्रम संख्या 05 पर अंकित पी-एच. डी. शोधार्थी, ईश शक्ति सिंह को शोध-निर्देशक प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण पर विभागीय बैठक में विचार किया गया और निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए :

प्रस्ताव :

(i) प्रवासन एवं डायासोरा अध्ययन विभाग में अन्य कोई शोध-निर्देशक उपलब्ध न होने की दशा में शोधार्थी के हित को ध्यान में रखते हुए डॉ. राजीव रंजन राय को पी-एच. डी. शोधार्थी, ईश शक्ति सिंह का शोध-निर्देशक बनाए जाने की संस्तुति की जाती है।

(ii) यह संस्तुति भी की जाती है कि भविष्य में डॉ. राजीव रंजन राय के निर्देशन में तभी पी-एच. डी. शोधार्थी दिए जाएँ, जब महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत Ph. D. Ordinance No. 45/2017, Modified as per UGC (Minimum Standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 के संबंधित अनुच्छेद, Number of Ph. D. Seats Under a Supervisor के अनुसार रिक्ति हो।

उपर्युक्त प्रस्ताव स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए।

स्कूल **बोर्ड का निर्णय :** स्कूल बोर्ड द्वारा विभागीय बैठक के प्रस्ताव (i) एवं (ii) का अनुमोदन किया जाता है और संस्तुति की जाती है कि डॉ. राजीव रंजन राय को पी-एच. डी. शोधार्थी, ईश शक्ति सिंह का शोध निर्देशक नियुक्त किया जाए।

3.4) **NET परीक्षा में "प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन" विषय सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव :**

भारतीय विश्वविद्यालयों में "प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन" तेज़ी से उभरता हुआ अकादमिक अनुशासन और अध्ययन विषय है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन के क्षेत्र में एम. ए., एम. फिल. तथा पी-एच. डी. उपाधि हेतु अध्ययन व शोध की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके बावजूद NET परीक्षा में प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विषय सम्मिलित न होने के कारण विद्यार्थियों के समक्ष अनेक

Scanned by CamScanner

समस्याएँ आती हैं, जिनका प्रभाव इस अकादमिक अनुशासन के विस्तार तथा लोकप्रियता पर पड़ता है।

इन तथ्यों के आलोक में प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग द्वारा निम्नांकित प्रस्ताव स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया गया कि विद्या परिषद के माध्यम से इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजने की कार्रवाई की जाए :

प्रस्ताव :

"महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा का 'प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग' विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मांग करता है कि NET परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों की सूची में 'प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन' विषय सम्मिलित किया जाए।"

स्कूल बोर्ड का निर्णय : स्कूल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है और संस्तुति की जाती है कि विद्या परिषद के अनुमोदन के पश्चात इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाए।

3.5 सूचनार्थ बिंदु : विभागीय बैठक के कार्यवृत्त में स्कूल बोर्ड को सूचित किए जाने हेतु जिन बिंदुओं का उल्लेख था, उन्हें निम्नानुसार अभिमत हेतु प्रस्तुत किया गया :

(i) प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग हेतु भवन की आवश्यकता :

प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग अपने स्थापना-काल से ही आवश्यक मानव एवं ढाँचागत-संसाधन उपलब्ध न होने की समस्या से जूझ रहा है। प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रशासन से अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ भवन के ऊपरी तल पर संचालित दूर शिक्षा निदशालय के अपने भवन में स्थानांतरित होने के पश्चात निम्नांकित योजनानुसार उक्त तल को प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग को प्रदान किए जाने का निवेदन किया जाए :

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ भवन (प्रथम तल)

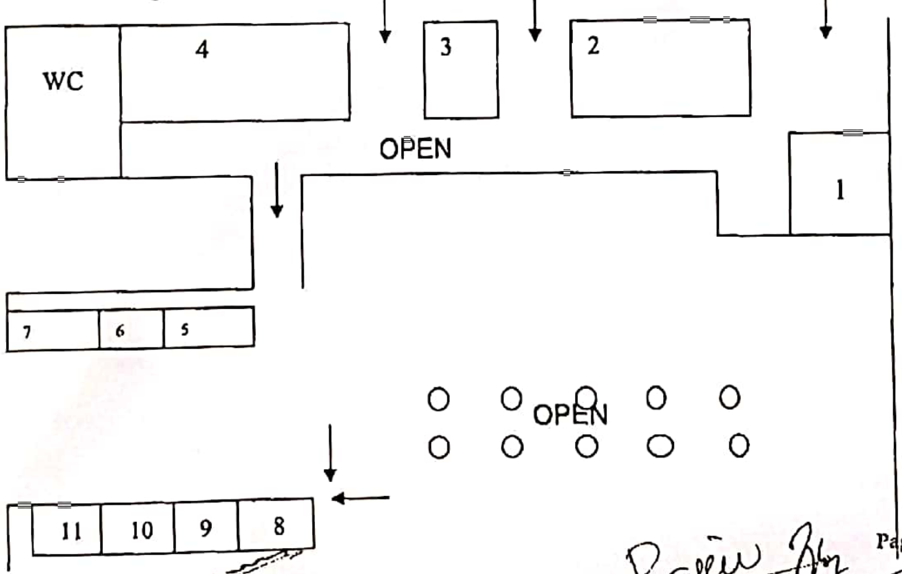

Scanned by CamScanner

कक्ष आबंटन/आवश्यकता का प्रारूप :

कक्ष संख्या	आबंटन	आवश्यकता
1	संकायाध्यक्ष , अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	संकायाध्यक्ष की मांग के अनुसार
2	डायस्पोरा संसाधन एवं प्रदर्शनी कक्ष	पार्टीशन एवं डिस्प्ले बोर्ड
3	अध्यक्ष ,प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग	विभागीय अध्यक्ष हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री
4	व्याख्यान कक्ष एम.ए .प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन सेमेस्टर 2/1 व्याख्यान कक्ष एम.ए .प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन सेमेस्टर 4/3	पार्टीशन एवं कक्षा हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री 30) सीटें (पार्टीशन एवं कक्षा हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री 30) सीटें(
5	सहायक प्रोफेसर कक्ष डा.राजीव रंजन राय	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध
6	कार्यालय ,प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग	फर्नीचर एवं आलमारी) पूर्व में प्रेषित मांग के अनुरूप(
7	सहायक प्रोफेसर कक्ष डा .मुन्नालाल गुप्ता	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध
8	व्याख्यान कक्ष एम.फिल .प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन	कक्षा हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री 02) सीटें(
9	व्याख्यान कक्ष भारतीय डायस्पोरा में परास्नातक डिप्लोमा	कक्षा हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री 20) सीटें(
10	शोधार्थी कक्ष ,प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री 10) शोधार्थी(
11	छात्राओं के लिए विशिष्ट कक्ष	कक्षा हेतु फर्नीचर एवं अन्य सामग्री 10) छात्राएं(पृथक के अटैच टायलेट अपरिहार्य) स्थान उपलब्ध(

... बोर्ड को सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव संकायाध्यक्ष द्वारा अपनी संस्तुति के साथ प्रशासन को प्रेषित किया जा चुका है।

(...) अकादमिक वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा प्राध्यापकों व विद्यार्थियों के माध्यम से संचालित अकादमिक, शोध व विस्तार संबंधी गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। निर्णय किया गया कि इन गतिविधियों का विवरण सूचनार्थ अध्ययन मंडल व उसके माध्यम से स्कूल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया ...

(...) विभाग के अकादमिक वर्ष 2017-18 के अकादमिक कैलेंडर पर विचार किया गया। निश्चय किया ... कि संपन्न की जाने वाली गतिविधियों की सूची सूचनार्थ अध्ययन मंडल व उसके माध्यम से स्कूल ... के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

Scanned by CamScanner

(v) विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक तथा प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन अनुशासन के विकासमान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या को अधिक गहन, व्यावहारिक, तर्कसंगत और बोधगम्य बनाए जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। विचार-विमर्श के उपरांत निश्चय किया गया विभागीय स्तर पर प्राध्यापक-सदस्यों एवं शोध छात्रों से चर्चा करके संवर्धित पाठ्यचर्या का प्रारंभिक प्रारूप निर्मित किया जाए। इसे पहले चरण में विचार हेतु विशेषज्ञों को भेजा जाए, जिसके बाद एक पाठ्यक्रम-कार्यशाला आयोजित करके पाठ्यचर्या सहित पाठ्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाए।

स्कूल बोर्ड का अभिमत : स्कूल बोर्ड सूचनीय बिंदुओं से अवगत हुआ।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

8/11/2017 (प्रो. चंद्रशेखर भट्ट)

8/11/17 (डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी)

Rajeev 08/11/2017 (डॉ. राजीव रंजन राय)

08/11/2017 (डॉ. मिलिंद पाटिल)

08/11/17 (डॉ. राम प्रकाश यादव)

8/11/17 (प्रो. देवराज)

Scanned by CamScanner

अनुवाद अध्ययन विभाग

अध्ययन मंडल बैठक दि. 16/09/17

कार्यवृत्त

आज दिनांक 16/09/2017 को विभागाध्यक्ष के कक्ष में अनुवाद अध्ययन विभाग की अध्ययन मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में बाह्य-विशेषज्ञ के रूप में प्रो० के० एल० वर्मा, रायपुर (छ.ग.) से पधारे हैं। बैठक में निम्नलिखित विभागीय सदस्य उपस्थित थे-

1. डॉ. राम प्रकाश यादव, सहायक प्रोफेसर - अध्यक्ष
2. प्रो. देवराज, प्रोफेसर - सदस्य (अनुपस्थित)
3. डॉ. अनवर अ. सिद्दीकी, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
4. डॉ. हरप्रीत कौर, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
5. प्रो. के. एल. वर्मा, - सदस्य (बाह्य विषय विशेषज्ञ)
6. डॉ. हिमाद्री शईकीया - भूतपूर्व छात्र

इसमें निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किये गये हैं-

1) अध्ययन मंडल की दि. 20/09/2016 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2) 'विभागीय अकादमिक कैलेंडर' वर्ष 2017-18 की अध्ययन मंडल की बैठक में सूचना ग्रहण की गई।
3) बैठक में पी-एच.डी एवं एम.फिल. शोधार्थियों के शोध-विषय निम्नानुसार तय किए गए-

क्र.स.	शोधार्थी का नाम	पाठ्यक्रम	प्रस्तावित शोध विषय	अनुशंसित विषय
01	कुलदीप कुमार पाण्डेय	पी-एच.डी.	'The Mysterious Ailment of Rupi Baskey' का हिंदी अनुवाद और अनूदित पाठ के आधार पर संथाली जनजातीय जीवन का अध्ययन	संस्तुत
02	जीतेन्द्र	पी-एच.डी.	सामाजिक अंतरक्रिया में अनुवादक की भाषा पर सामाजिक कारकों का प्रभाव	सामाजिक अंतरक्रिया में अनुवादक की भाषा पर सामाजिक कारकों का प्रभाव
03	विजय करन	पी-एच.डी.	हिंदी से अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में संज्ञा, क्रिया एवं विशेषण के संदिग्धार्थक शब्दों का विसंदिग्धीकरण : एक नियम आधारित अभिगम	हिंदी से अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में संज्ञा, क्रिया, एवं विशेषण के संदिग्धार्थक शब्दों का विसंदिग्धीकरण : एक नियम आधारित अभिगम
04	उपासना गौतम	पी-एच.डी.	वृतचित्रों में जनप्रतिरोध का निर्वचन आधारित अध्ययन: विशेष संदर्भ जय भीम कॉमरेड	वृत्तचित्रों में जनप्रतिरोध का निर्वचन आधारित अध्ययन

Scanned by CamScanner

05	आकांक्षा मोहन	पी-एच.डी.	हिंदी में स्त्री-विमर्श के विकास में अनुवाद की भूमिका (संदर्भ : 21वीं सदी के प्रथम दशक में भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित महिला रचनाकारों के उपन्यास)	हिंदी में स्त्री-विमर्श के विकास में अनुवाद की भूमिका (संदर्भ : भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित महिला रचनाकारों के उपन्यास)
06	रिंकी कुमारी	एम.फिल	'तिरिया चरित्तर' के सिनेमा संस्करण का अंतरप्रतीकात्मक अध्ययन	संस्तुत
07	वर्षा उभाले	एम.फिल	मराठी से हिंदी में अनूदित काव्यकृति 'आधा आसमां सर पर' का अनुवादपरक मूल्यांकन	संस्तुत
08	आशीष कुमार पाण्डेय	एम.फिल.	'The Cost of Love : A Common Man's Love Story' उपन्यास का हिंदी अनुवाद और अनुवाद संबंधी समस्याओं का अध्ययन	संस्तुत
09	अनुज कुमार गौतम	एम.फिल	"ऐतिहासिक पर्यटन के विकास में निर्वचन की भूमिका" (दिल्ली राज्य के 12वीं से 20 वीं शताब्दी के मध्य निर्मित स्मारकों के संदर्भ में)	ऐतिहासिक पर्यटन के विकास में निर्वचन की भूमिका (दिल्ली राज्य के 12वीं से 20 वीं शताब्दी के मध्य निर्मित स्मारकों के संदर्भ में)
10	वी. अलीशा	एम.फिल	अंग्रेजी आत्मकथा 'Who wrote my destiny" के हिंदी अनुवाद का विश्लेषणात्मक अध्ययन	'Who wrote my destiny' के हिंदी अनुवाद का अनुवादपरक विश्लेषण
11	अक्षय लोहट	एम.फिल	विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में अधिगम : अनुवाद की भूमिका	संस्तुत
12	विष्णु शिवरकर	एम.फिल	"मराठी संज्ञा आधारित व्युत्पादक रूपिम सर्जक"	आवेदन एवं संलग्न शोध-प्रस्ताव के विषयों में साम्य नहीं।
13	विशाल आनंदराव सयाम	एम.फिल	"परधान जनजाति के सांस्कृतिक गीतों का हिंदी अनुवादपरक विश्लेषण"	परधान बोली के लोकगीतों में हिंदी अनुवाद : समस्या और समाधान
14	दीपिका काशीनाथ मंडवधरे	एम.फिल	"संत गाडगे बाबा के चयनित कीर्तनों का हिंदी अनुवाद एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन"	संत गाडगे बाबा के चयनित कीर्तनों का हिंदी अनुवाद: समाजभाषापरक अध्ययन
15	अपर्णा पिराजी माने	एम.फिल	"चिकित्सा पर्यटन में अनुवाद और निर्वचन की भूमिका" (नागपुर शहर के अस्पतालों के संदर्भ में)	चिकित्सा पर्यटन में अनुवाद और निर्वचन की भूमिका (नागपुर शहर के अस्पतालों के संदर्भ में)

Scanned by CamScanner

16	ज़ीनत उल ख़ुशबू	एम.फिल	बंगला एवं हिंदी मुहावरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अनुवाद के विशेष संदर्भ में)	बांग्ला एवं हिंदी मुहावरों का समाजभाषापरक अध्ययन (अनुवाद के विशेष संदर्भ में)
17	वर्षा अशोकराव विघ्ने	एम.फिल	बौद्ध पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद एवं निर्वचन की भूमिका (महाराष्ट्र के संदर्भ में)	बौद्ध पर्यटन क्षेत्र में अनुवाद एवं निर्वचन की भूमिका (महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विशेष संदर्भ में)

4) पी-एच.डी. शोधार्थियों के नाम में संशोधन करने के संदर्भ में-

अ.क्र.	अधिसूचना में टंकित शोधार्थी का नाम	सही नाम
01	श्री विजय करण	श्री विजय करन
02	श्री कुलदीप कुमार पांडे	श्री कुलदीप कुमार पाण्डेय
03	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री जीतेन्द्र

5) श्री विष्णु शिवरकर का आवेदन दि. 15.09.2017 को विभाग में प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना शोध का विषय "मराठी- हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली (मराठी फिल्म जगत के विशेष संदर्भ में) बताते हुए प्रस्तुत किया है, परंतु संलग्न शोध प्रारूप "मराठी संज्ञा आधारित व्युत्पादक रूपिम सर्जक"(मशीन अनुवाद के विशेष संदर्भ में) इस विषय पर है, जो कि मूल से भिन्न है। यह पत्र भी आपत्तिजनक है। दिनांक: 20/06/2017 को विभागाध्यक्ष की हैसियत से हस्ताक्षरित पत्र दि. 15/09/2017 को विभाग में प्रस्तुत किया है, जबकि इस समय वह हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

अत: शोधार्थी पत्र में उल्लिखित शोध प्रारूप प्रस्तुत करना चाहता है तो शोध-निर्देशक के माध्यम से इसे प्रस्तुत करे और इसका निर्धारण विभागाध्यक्ष विभागीय समिति के द्वारा करें। चूँकि यह पुराना प्रकरण है। इसलिए शोधार्थी का निर्देशन प्रो॰ अन्नपूर्णा सी॰ के शोध निर्देशन में यथावत रखा जाता है।

6) दो शोध प्रारूप श्री अक्षय लोहट और सुश्री वी॰ अलीशा के हैं, जिसके शोध निर्देशक के रूप में प्रो. अन्नपूर्णा सी॰ का नाम अंकित है। प्रो॰ अन्नपूर्णा सी॰ दिनांक: 20.06.2017 को हैदराबाद विश्वविद्यालय के लिए यहाँ से कार्यमुक्त हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में विभाग में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के निर्देशन में लघु शोध प्रबंध निम्नलिखित शोध निर्देशकों के निर्देशन में प्रस्तुत किया जाए-

अ. क्र.	शोधार्थी का नाम	शोध विषय	शोध निर्देशक
1.	अक्षय लोहट	विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में अधिगम : अनुवाद की भूमिका	डॉ. अ.अ. सिद्दीकी
2.	वी. अलीशा	'Who wrote my destiny' के हिंदी अनुवाद का अनुवादपरक विश्लेषण	डॉ. राम प्रकाश यादव

7) विद्या परिषद् की 25 वीं बैठक की कार्यसूची के अनुपालन में एम. फिल.- अनुवाद अध्ययन को 4 सेमेस्टर करने संबंधी प्रारम्भिक प्रारूप निर्मित किया गया। यह तय किया गया कि इस प्रारूप को विशेषज्ञ प्रो॰ के॰ एल॰

Scanned by CamScanner

वर्मा को ई- मेल से प्रेषित कर, उनके सुझाव प्राप्त कर अंतिम रूप दिया जाय। तदुपरांत इसे स्कूल बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा जा सकता है।

8) एम० ए०- अनुवाद अध्ययन पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। उसे भी आंशिक संशोधन हेतु प्रो० के० एल० वर्मा को ई- मेल से प्रेषित कर, उनके सुझाव प्राप्त कर अंतिम रूप दिया जाय।

9) अनुवाद में पी० जी० डिप्लोमा के दूसरे सेमेस्टर के प्रश्न-पत्र PG/T/H/205 के 'सौ पृष्ठों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद' के स्थान पर 'सौ पृष्ठों का किसी अन्य भाषा से हिंदी में अनुवाद' कार्य करना होगा।

10) प्रो० अन्नपूर्णा सी० के आवेदन पर विचार किया गया। उनके आवेदन को ध्यान में रखते हुए उनके निर्देशन में कार्यरत पी-एच. डी. शोधार्थियों को उनके निर्देशन में यथावत रखा जाएगा।

11) पी-एच. डी. शोधार्थी श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव का पंजीयन दिनांक: 17/07/2013 को हुआ है, जिनका शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक: 18/10/2013 के कार्यवृत्त के अनुसार विषय 'मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों (Multi Word Expressions) की समस्याएं (अंग्रेजी हिंदी के विशेष संदर्भ में) था जो कि उनके अनुरोध पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक: 27/11/2015 के अनुसार बदल कर 'मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक: हिंदी- अंग्रेजी के संदर्भ में विश्लेषनात्मक अध्ययन' किया गया। उन्होंने इस शीर्षक को पुनः बदलकर 'हिंदी- अंग्रेजी बहुशब्दीय अभिव्यक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन: मशीनी अनुवाद के संदर्भ में' करने की मांग की है। चूँकि इनके रजिस्ट्रेशन को चार वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में अध्यादेश के अनुसार परिवर्तन किए जाने का कोई नियम नहीं है।

12) पी-एच. डी. शोधार्थियों श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव एवं सुश्री अनुपमा पाण्डेय जिनका पंजीयन दिनांक: 17/07/2013 को हुआ है। इनके रजिस्ट्रेशन को चार वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। इन्होंने एक वर्ष के लिए समय विस्तार का आवेदन किया है। अध्यादेश के अनुसार एक वर्ष का समयावधि विस्तार दिनांक: 16/07/2018 तक दिया जा सकता है। चूँकि इस मध्य अध्ययन मंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी, अतः इस प्रकरण को इस बैठक में विचारार्थ रखा गया है।

16/09/2017		16/09/17
डॉ. राम प्रकाश यादव	प्रो. देवराज	डॉ. अनवर अ. सिद्दीकी
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य
16/9/17		
डॉ. हरप्रीत कौर	प्रो. के. एल. वर्मा	डॉ. हिमाद्री शईकीया
सदस्य	सदस्य	सदस्य

Scanned by CamScanner

अनुवाद अध्ययन विभाग

अध्ययन मंडल बैठक दि. 20/09/16

कार्यवृत्त

आज दिनांक 20/09/16 को विभागाध्यक्ष के कक्ष में अनुवाद अध्ययन विभाग की अध्ययन मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में बाह्य-विशेषज्ञ के रूप में डॉ. जगदीश शर्मा (IGNOU) दिल्ली से पधारे हैं। बैठक में सभी विभागीय सदस्य उपस्थित थे।

पिछले BOS की बैठक के कार्यवृत्त की पुस्टी की गई।

1. डॉ. अन्नपूर्णा सी., एसोसिएट प्रोफेसर - अध्यक्ष
2. प्रो. देवराज, प्रोफेसर (संकायाध्यक्ष) - सदस्य
3. डॉ. अनवर अ. सिद्दीकी, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
4. डॉ. राम प्रकाश यादव, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
5. डॉ. हरप्रीत कौर, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
6. श्री गोपाल राम, सहायक प्रोफेसर - सदस्य
7. डॉ. मिलिंद पाटिल, पीडिएफ(पूर्व विद्यार्थी सदस्य) - सदस्य
8. डॉ. जगदीश शर्मा - सदस्य (बाह्य विषय विशेषज्ञ)

इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करके प्रस्ताव पारित किये गये है-

1. नव-प्रवेशित पीएच.डी. शोधार्थियों के शोध-निर्देशक और उनके चयनित शोध क्षेत्र को स्वीकृति दी गई। नव-प्रवेशित पीएच.डी शोधार्थियों (2016-17) के शोध निर्देशक की नियुक्ति Ph.D. Ordinance (4.1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अध्ययन मंडल द्वारा शोध-निर्देशक आवंटित किये गए। (A)

    1. कुलदीप कुमार पाण्डे - प्रो. देवराज
    2. जितेन्द्र कुमार - प्रो. देवराज
    3. विजय करण - डॉ. रामप्रकाश यादव
    4. उपासना गौतम - डॉ. हरप्रीत
    5. आकांक्षा मोहन - डॉ. हरप्रीत

2. विज्ञापन के आलोक में सत्र 2016-17 के लिए पीएच.डी. प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को चयन किया गया। इसके अतिरिक्त एक अभ्यर्थी को माननीय कुलपति के विशेष अधिकार के तहत प्रवेश प्राप्त हुआ। जिसे विभाग ने सर्व सम्मति से अनुमति प्रदान की और शोध-निर्देशक के रूप में विभाग के डॉ. राम प्रकाश यादव को आवंटित किया गया। जिसकी अध्ययन मंडल ने पुष्टि की और अध्ययन मंडल की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन किया गया। (B)

देवराज 5/1/17

Scanned by CamScanner

3. यह तय किया गया कि अनुवाद अध्ययन विभाग के अंतर्गत चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण में सुधार हेतु पहले विभागीय स्तर की एक बैठक में विचार-विमर्श कर शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित की जाए।
4. एम.ए. अनुवाद अध्ययन के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुवाद कार्य के पृष्ठों की संख्या कम की जा सकती है।
5. अन्य विषयों के अंतर्गत शोधार्थियों के शोध-विषय के आंशिक परिवर्तन के बारे में यह निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रस्तुति के समय पर इसे रखा जाए।
   इसके साथ समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत श्री सुधीर जिंदे तथा सुश्री मेघा आचार्य के शोध समय को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
6. श्री योगेश भस्मे एवं श्री सी.एच. अंबेडकर को नौकरी मिलने के कारण उन्हें बिना किसी शोधवृत्ति और दो साल पूर्ण होने की स्थिति में उनके शोध-कार्य को जारी रखने की अनुमति दी गई।
   सुश्री लेखा जोशी का हैदराबाद में विवाह हो जाने से एवं दो वर्ष पूर्ण होने से बिना शोधवृत्ति लिए शोध कार्य को जारी रखने की अनुमति दी गई।
   श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव एवं लक्ष्मी संगीता गादे के सह शोध-निर्देशक की टिप्पणी के आलोक में उन्हें आंशिक परिवर्तन करने से पूर्व शोध प्रगति विभागीय आर.डी.सी. के सामने प्रस्तुतीकरण देने के लिए सूचित किया जाए।
7. IGNOU और अनुवाद अध्ययन विभाग के संयुक्त भागीदारी से निकट भविष्य में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किये जाने के संदर्भ में चर्चा की गई और इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित किया गया।
8. विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण के संदर्भ में भी चर्चा हुई। उस पर अलग से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अन्नपूर्णा 21/9/16
डॉ. अन्नपूर्णा सी.
अध्यक्ष

प्रो. देवराज, संकायाध्यक्ष
सदस्य

21/9/16
डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
सदस्य

21/09/16
डॉ. राम प्रकाश यादव
सदस्य

21.9.16
डॉ. हरप्रीत कौर
सदस्य

21/9/16
श्री गोपाल राम
सदस्य

21/9/2016
डॉ. मिलिंद पाटिल
सदस्य

21/9/16
डॉ. जगदीश शर्मा
सदस्य (बाह्य विषय विशेषज्ञ)

चर्चा करें।
देवराज
26/9/16

विभागाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा

अनुवाद अध्ययन विभाग

विभागीय अध्ययन मंडल

(ई-मेल द्वारा आपात बैठक)

29.09.2015

कार्यवृत्त

अनुवाद अध्ययन विभाग के **विभागीय अध्ययन मण्डल** की ई-मेल द्वारा **आपात बैठक** हेतु निम्नांकित सदस्यों को कार्य-सूची प्रेषित की गई :

01. डा. अन्नपूर्णा चर्ल, एसोसिएट प्रोफ़ेसर	:	(सदस्य)
02. डा. अनवर अहमद सिद्दीकी, सहायक प्रोफ़ेसर	:	(सदस्य)
03. डा. राम प्रकाश यादव, सहायक प्रोफ़ेसर	:	(सदस्य)
04. डा. हरप्रीत कौर, सहायक प्रोफ़ेसर	:	(सदस्य)
05. श्री गोपाल राम, सहायक प्रोफ़ेसर	:	(सदस्य)
06. डा. के. नारायणमूर्ति	:	(बाहय विषय विशेषज्ञ सदस्य)
07. डा. जगदीश शर्मा	:	(बाहय विषय विशेषज्ञ सदस्य)
08. डा. मिलिंद पाटिल, पी.डी.एफ.	:	(पूर्व विद्यार्थी सदस्य)

विभागीय अध्ययन मण्डल के **06** (छः) सदस्यों ने कार्य-सूची में सम्मिलित **'विचार एवं अभिमत हेतु बिंदु'** के अंतर्गत समस्त बिंदुओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रति अपनी **सहमति** से अवगत कराया और **'सूचनार्थ बिंदु'** के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त सूचनाएँ **ग्रहण** कीं। केवल **02** (दो) सदस्यों ने अपनी **असहमतियों** से अवगत कराया, जिन्हें इस कार्यवृत्त में यथा स्थान दर्शाया गया है।

कार्यवाही/ निर्णय

बिंदु सं. 1 : पी-एच.डी. शोधार्थियों को शोध निर्देशक प्रदान किया जाना :

विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों के समक्ष उपर्युक्त बिंदु के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत करके प्रस्ताव रखा गया कि :

विभागीय प्राध्यापक डा. राम प्रकाश यादव तथा उनके निर्देशन में पी-एच.डी. उपाधि हेतु कार्यरत शोधार्थियों, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और सुश्री अनुपमा पाण्डेय के पत्रों पर विचार-विमर्श के आधार पर 11.02.2015 की विभागीय समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव तथा डा. अन्नपूर्णा चर्ल के प्रस्ताव पर किए गए विचार-विमर्श के आलोक में 10.04.2015 की विभागीय समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर 15.04.2015 की विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक में मद सं. 08 एवं 09 के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव, सुश्री अनुपमा पाण्डेय और सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे को नियमित शोध-निर्देशक प्रदान किए जाने तक इन शोधार्थियों के शोध-कार्य में सहायता करने व उनके शोध प्रगति प्रतिवेदन की जाँच करके शोधवृत्ति हेतु संस्तुत करने का दायित्व डॉ. हरप्रीत कौर को सौंपा जाता है|

निर्णय की तिथि से अब तक डा. हरप्रीत कौर द्वारा यह दायित्व गंभीरतापूर्वक निभाए जाने, शोधार्थियों के हित, विभागीय आवश्यकता तथा कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना पत्रांक 05/2013/DTT/10(4-1)/520 दिनांक 24.08.2015 के अनुसार उन्हें शोध निर्देशक घोषित किए जाने को ध्यान में रखते हुए विभागीय समिति के सदस्यों को (ई-मेल बैठक पद्धति से) एक प्रस्ताव विचार/अभिमत हेतु प्रेषित किया गया कि **"डा. हरप्रीत कौर को विभागीय समिति और विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा जिन पी-एच.डी. शोधार्थियों की सहायता का दायित्व सौंपा गया था (मद संख्या 08 एवं 09), उनके शोध निर्देशक के रूप में डा. हरप्रीत कौर का नाम प्रस्तावित किया जाता है|"**

विभागीय समिति के दो सदस्यों (डा. अन्नपूर्णा चर्ल और डा. राम प्रकाश यादव) को छोड़ कर अन्य समस्त सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया| असहमति व्यक्त करने वाले दोनों ही सदस्यों ने अपनी असहमति का कोई कारण नहीं बताया| विभागीय समिति के अध्यक्ष द्वारा असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों को पत्र भेज कर आग्रह किया गया कि वे अपनी असहमति के समर्थन में कारण न बताने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें, किन्तु सम्बंधित सदस्यों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा| एक सदस्य ने लिखा कि **"विचारोपरांत ही माँगा गया स्पष्ट अभिमत प्रदान किया गया है|"** और दूसरे सदस्य ने लिखा कि **"सम्यक विचारोपरांत ही माँगा गया अभिमत प्रदान किया गया है|"** इन उत्तरों से स्पष्ट है कि असहमति व्यक्त करने वाले दोनों सदस्यों ने बिना किसी ठोस कारण के अपनी असहमतियां व्यक्त की हैं, जबकि विभागीय समिति के अन्य सभी सदस्य उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत हैं| इस परिस्थिति में निम्नांकित प्रस्ताव विभागीय अध्ययन मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :

विभागीय समिति के प्रस्ताव और विभागीय अध्ययन मण्डल के निर्णय के अनुसरण में डा. हरप्रीत कौर, एसिस्टेंट प्रोफ़ेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग पी-एच.डी शोधार्थियों, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव, सुश्री अनुपमा पाण्डेय तथा सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के शोध-कार्य में सहायता व उनके मासिक शोध प्रगति प्रतिवेदन की जाँच करके शोधवृत्ति हेतु संस्तुत करने का दायित्व निभा रही हैं| उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा शोध-निर्देशक की मान्यता प्रदान कर दी गई है, अत:

विभागीय आवश्यकताओं और शोधार्थियों के हित में Ph.D. Ordinance (4.1 & 5.6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा डा. हरप्रीत कौर को पी-एच.डी. शोधार्थियों,

श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव, सुश्री अनुपमा पाण्डेय तथा सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे की शोध-निर्देशक नियुक्त किया जाता है|

विवरण :

क्र. सं.	शोधार्थी का नाम	शोध - विषय	प्रस्तावित शोध निर्देशक
1	विशेष कुमार श्रीवास्तव	मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक :हिंदी-अंग्रेजी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. हरप्रीत कौर
2	अनुपमा पाण्डेय	क्रिकेट खेल आधारित हिंदी POS टैग कार्पस निर्माण और भाषाई मूल्यांकन	डॉ. हरप्रीत कौर
3	लक्ष्मी संगीता गादे	हिंदी से तेलुगु में रूपसाधक प्रत्यय का अध्ययन (मशीनी अनुवाद के विशेष संदर्भ में)	डॉ. हरप्रीत कौर

सदस्यों के अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल के 06 (छ:) सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति से अवगत कराया|

2 (दो) सदस्यों ने अपनी असहमति की सूचना दी| इनमें से डा. अन्नपूर्णा चर्ले ने सूचित किया कि **"इस बिंदु से असहमत इसलिए है कि अनुपमा और विशेष का डेढ़ साल खतम हो चुके हैं| उनका शोध कार्य विभागाद्यक्ष महोदय के निर्देशन में चलें तो ठीक ढंग से संपन्न हो जाता है| नए शोधार्थी को डा. हरप्रीत कौर के मार्ग निर्देशन में दे तो अच्छा रहता है|"** डा. राम प्रकाश यादव ने सूचित किया कि **"असहमत| संदर्भित तीन शोधार्थियों में से दो शोधार्थियों ने अपनी शोध अवधि के दो वर्ष एवं एक शोधार्थी का एक वर्ष पूर्ण हो गया है| अत; इन्हें प्रो. देवराज के निर्देशन में दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके निर्देशन में सीटें पहले से रिक्त हैं| डा. हरप्रीत कौर को सूचानार्थ बिंदु संख्या 4 के अनुसार 24/08/2015 को शोध निर्देशक घोषित किया गया है, अतएव आगामी सत्र से उनके अंतर्गत सीटों को विज्ञापित कर नए शोधार्थी दिया जाना उचित होगा|"**

स्पष्टीकरण :

उपर्युक्त दोनों सदस्यों ने अपनी असहमतियाँ सम्बंधित प्रस्ताव का समुचित अध्ययन किए बिना प्रकट की हैं, अत: इन्हें अस्वीकार किया जाता है तथा विभागीय अध्ययन मण्डल के समक्ष प्रस्तुत **शोध निर्देशक प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव** का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया जाता है कि :

निर्णय :

विभागीय आवश्यकताओं और शोधार्थियों के हित में Ph.D. Ordinance (4.1 & 5.6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा डा. हरप्रीत कौर, सहायक प्रोफ़ेसर, अनुवाद अध्ययन विभाग को पी-एच.डी. शोधार्थियों, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव, सुश्री अनुपमा पाण्डेय तथा सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे की शोध-निर्देशक नियुक्त किया जाता है|

बिंदु सं. 2 : सह शोध निर्देशक प्रदान किया जाना :

विभागीय अध्ययन मंडल की 15. 04. 2015 की बैठक में **'अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से'** वर्ग के अंतर्गत लिए गए निर्णय तथा एम.फिल. अध्यादेश में वर्णित प्रावधान (5.1) के अनुसरण में निम्न विवरणानुसार सह शोध निर्देशक की नियुक्ति का प्रस्ताव (ई-मेल बैठक पद्धति से) विभागीय समिति के सदस्यों को प्रेषित किया गया था, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस तथ्य के आलोक में निम्नांकित प्रस्ताव विभागीय अध्ययन मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया :

विभागीय आवश्यकताओं और शोधार्थियों के हित में M.Phil. Ordinance (5.1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा डा. हरि उराँव, एसिस्टेंट प्रोफ़ेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल एण्ड रीज़नल लेंग्वेजेज, रांची विश्वविद्यालय, रांची- 834 008 को एम. फिल. शोधार्थी सुश्री दीप्ति एक्का का सह शोध निर्देशक नियुक्त किया जाता है।

विवरण :

एम.फिल .शोधार्थी का नाम	:	सुश्री दीप्ति एक्का
शोध विषय	:	'कुडुख भाषा के त्योहार गीतों का हिंदी अनुवाद और लोक सांस्कृतिक अध्ययन'
शोध निर्देशक	:	डॉ. रामप्रकाश यादव
प्रस्तावित सह-शोध निर्देशक	:	डा. हरि उराँव, अिसस्टेंट प्रोफेसर, युनिवर्सिटि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल एण्ड रीजनल लैंग्वेजेज, राँची विश्वविद्यालय, राँची-834008 -

सदस्यों के अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति से अवगत कराया, अत: इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निर्णय लिया जाता है कि :

निर्णय :

विभागीय आवश्यकताओं और शोधार्थियों के हित में M.Phil. Ordinance (5.1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा डा. हरि उराँव, एसिस्टेंट प्रोफ़ेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल एण्ड रीज़नल लेंग्वेजेज, रांची विश्वविद्यालय, रांची- 834 008 को एम. फिल. शोधार्थी सुश्री दीप्ति एक्का का सह शोध निर्देशक नियुक्त किया जाता है।

सूचनार्थ बिंदु

बिंदु सं. 1 : एम.फिल. अनुवाद कार्य हेतु पाठ-चयन :

एम.फिल. पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर के प्रश्नपत्र संख्या M.Ph./C/105 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनुवाद कार्य निर्धारित है, जिसके लिए सामग्री का निर्णय विभागीय समिति द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत सामग्री की सूची (ई-मेल बैठक पद्धति से) विभागीय समिति के सदस्यों को विचार एवं अभिमत हेतु भेजी गई थी।

विभागीय समिति के दो सदस्यों (डा. अन्नपूर्णा चर्ले और डा. राम प्रकाश यादव) को छोड़ कर अन्य समस्त सदस्यों ने इस सूची का समर्थन किया। असहमति व्यक्त करने वाले दोनों ही सदस्यों ने अपनी असहमति का कोई कारण नहीं बताया। विभागीय समिति के अध्यक्ष द्वारा असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों को पत्र भेज कर आग्रह किया गया कि वे अपनी असहमति के समर्थन में कारण न बताने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें, किन्तु सम्बंधित सदस्यों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। एक सदस्य ने लिखा कि **"विचारोपरांत ही माँगा गया स्पष्ट अभिमत प्रदान किया गया है।"** और दूसरे सदस्य ने लिखा कि **"सम्यक विचारोपरांत ही माँगा गया अभिमत प्रदान किया गया है।"** इन उत्तरों से स्पष्ट है कि असहमति व्यक्त करने वाले दोनों सदस्यों ने बिना किसी ठोस कारण के अपनी असहमतियां व्यक्त की हैं, जबकि विभागीय समिति के अन्य सभी सदस्य उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत हैं।

इस तथ्य के आलोक में एम.फिल. शोधार्थियों द्वारा विचारार्थ प्रस्तुत निम्नांकित सूची को अनुमोदित मान लिया गया और उन्हें अनुवाद करने की अनुमति प्रदान कर दी गई :

क्र.सं.	चयनित पाठ/रचना का शीर्षक	**लेखक का नाम**	**स्रोत भाषा**	**प्रस्तावक विद्यार्थी**
1	मामोरे धरा तलबार	इंदिरा गोस्वामी	असमीया	उज्ज्वल डेका बरूआ
2	रंग माणसांचे	उत्तम कांबले	मराठी	प्रिया एस. माली
3	वाईड अँगलमधून	प्रसाद जोशी	मराठी	गोदावरी ठाकुर
4	सुज्ञ कथा	संध्या पेडणेकर	मराठी	नर्मदा ठाकुर
5	फिनिक्सच्या राखेतुन उठला मोर	जयंत पवार	मराठी	विकास वाघमारे
6	गावपळण (मालवणी गजाल)	अमृता पांगे	मराठी	विष्णु शिवरकर
7	सावित्रीबाई फुले	प्रो.हरि नरके	अंग्रेजी	आशुतोष कुमार विश्वकर्मा

विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार अनुवाद की सुगमता और प्रामाणिकता के लिए अनुवाद कार्य निर्देशन हेतु असमीया, मराठी और अंग्रेजी का विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है।

सूचना विभागीय अध्ययन मण्डल के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत की गई|

सदस्यों के अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल के 06 (छः) सदस्यों ने इस सूचना को ग्रहण किया।

केवल 2 (दो) सदस्यों ने अपनी असहमति की सूचना दी| इनमें से डा. अन्नपूर्णा चर्ले ने सूचित किया कि **"बिंदु 1 से असहमत इसलिए है कि जो विशेषज्ञता विभागीय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध है तो उसी को अपनाए| बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं|"** तथा डा. राम प्रकाश यादव ने सूचित किया कि **"असहमत| विशेषज्ञों को चिह्नित नहीं किया गया है| एम.फिल. की समयावधि को देखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर विशेषज्ञता का लाभ लिया जाना उचित होगा|"**

स्पष्टीकरण :

दोनों सदस्यों द्वारा व्यक्त असहमतियों और सुझावों का संज्ञान लिया गया तथा निर्णय किया गया कि :

निर्णय :

"एम.फिल. पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर के प्रश्नपत्र संख्या M.Ph./C/105 के अंतर्गत निर्धारित अनुवाद कार्य के लिए विभागीय समिति द्वारा अनुमोदित सामग्री-सूची संबंधी सूचना ग्रहण की गई और निर्णय लिया गया कि एम.फिल. के विद्यार्थियों को अनुवाद कार्य में सहायता प्रदान करने की विश्वविद्यालयीय नीति के अंतर्गत यथासंभव विभागीय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाएँ|"

बिंदु सं. 2 : श्री गोपाल राम का अध्ययन अवकाश

श्री गोपाल राम द्वारा अध्ययन अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2015 तक अवकाश बढ़ाने की मांग की। समयाभाव के कारण उनके आवेदन को विभागीय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थापना एवं प्रशासन विभाग को अग्रेषित कर दिया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश की अवधि बढ़ा दी गई है। यह सूचना विभागीय अध्ययन मण्डल को उपलब्ध कराई गई|

सदस्यों के अभिमत : **समस्त सदस्य सूचना से अवगत हुए|**

बिंदु सं. 3 : पी-एच.डी. हेतु सह शोध निर्देशक की नियुक्ति :

विभागीय अध्ययन मण्डल की 15.04.2015 की बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 11 के अंतर्गत लिए गए निर्णय सं. 2 में कहा गया है कि **"श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और श्री बृजेश कुमार चौहान को सह शोध निर्देशक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया| विभागीय समिति द्वारा 10.04.2015 की बैठक में संस्तुत विशेषज्ञ की सेवाएं** आपातत: **उपलब्ध न होने के कारण निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष**

सम्बंधित शोध निर्देशक (श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण में अंतरिम व्यवस्था के अनुसार डा. हरप्रीत कौर) के सहयोग से सह शोध निर्देशक की व्यवस्था करें और विभागीय समिति तथा विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को सूचित करें।"

उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में विभागाध्यक्ष ने सम्बंधित शोध निर्देशक तथा शोधार्थियों के सहयोग से अनेक विद्वानों से संपर्क किया। अंततः डा. ओमप्रकाश सिंह, शोध वैज्ञानिक "सी"/प्रोफ़ेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली सह शोध निर्देशक के रूप में कार्य करने को सहमत हुए। तदनुसार प्रस्ताव (ई-मेल बैठक पद्धति से) विभागीय समिति के सदस्यों को सूचनार्थ भेजा गया।

विभागीय समिति के दो सदस्यों, डा. अन्नपूर्णा चर्ल और डा. राम प्रकाश यादव को छोड़ कर अन्य समस्त सदस्यों ने संदर्भित सूचना को ग्रहण किया। उपर्युक्त दो सदस्यों ने सूचनार्थ बिंदु के प्रति भी अपनी असहमति व्यक्त की, लेकिन दोनों ही सदस्यों ने अपनी असहमति का कोई कारण नहीं बताया। सूचनार्थ बिंदु होने के बावजूद विभागीय समिति के अध्यक्ष द्वारा असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों को पत्र भेज कर आग्रह किया गया कि वे अपनी असहमति के समर्थन में कारण न बताने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें, किन्तु सम्बंधित सदस्यों ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। एक सदस्य ने लिखा कि **"विचारोपरांत ही माँगा गया स्पष्ट अभिमत प्रदान किया गया है।"** और दूसरे सदस्य ने लिखा **"सम्यक विचारोपरांत ही माँगा गया अभिमत प्रदान किया गया है।"** इन उत्तरों से स्पष्ट है कि असहमति व्यक्त करने वाले दोनों सदस्यों ने सूचनार्थ बिंदु के प्रति भी बिना किसी ठोस कारण के अपनी असहमतियां व्यक्त की हैं।

यह भी सूचनीय है कि विभागीय अध्ययन मण्डल की 15.04.2015 की बैठक में मद सं. 11 के अंतर्गत लिए गए निर्णय सं. 2 को डा. अन्नपूर्णा चर्ल और डा. राम प्रकाश यादव की सहमति प्राप्त हुई थी। विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्य के रूप में एक निर्णय के प्रति सहमति व्यक्त करना और बाद में विभागीय समिति के सदस्य के रूप में उस निर्णय के अनुपालन के प्रति असहमति प्रकट करना चिंतनीय है।

इन तथ्यों के प्रकाश में, विभाग और शोधार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और श्री बृजेश कुमार चौहान के सह शोध निर्देशक के रूप में डा. ओम प्रकाश सिंह की नियुक्ति को स्वीकार करके इस संबंध में कार्यालयीन औपचारिकताएं पूरी करने का निर्णय लिय गया:

विवरण निम्नांकित है :

क्र.सं.	शोधार्थी का नाम	शोध विषय	सह शोध निर्देशक
1	विशेष कुमार श्रीवास्तव	मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी-अंग्रेजी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ.ओम प्रकाश सिंह शोध वैज्ञानिक 'सी'/ प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - 110067
2	बृजेश कुमार चौहान	हिंदी–अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में विचलन (डायवर्जन्स) की समस्याएँ (सामान्य व्यवहार की भाषा के संदर्भ में)	

142
64

सदस्यों के अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल के दो सदस्यों, को छोड़ कर अन्य समस्त सदस्यों ने संदर्भित सूचना को ग्रहण किया। सूचनार्थ बिंदु के प्रति असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों में से डा. अन्नपूर्णा चर्ल ने सूचित किया कि **"बिंदु संख्या -3 से असहमत इसलिए है कि डा. ओमप्रकाश सिंह साहित्य से सम्बंधित व्यक्ति है। अनुवाद के बारे में अनजान हैं तो कैसे 'को गाइड' बनेंगे? समिति के सामने बायोडाटा भी रखा नहीं है। अनुवाद की जानकारी ही नहीं है तो मशीनी अनुवाद की जानकारी कहाँ से आएगी?"** और डा. राम प्रकाश यादव ने सूचित किया कि **"असहमत। प्रस्तावित विद्वान की विशेषज्ञता का कोई विवरण/जीवनवृत्त विभागीय अध्ययन मण्डल/समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में क्यों कार्यवाही का आग्रह है?**

यह भी विचारणीय है कि निर्धारित योग्यता से पूर्व डा. हरप्रीत कौर को शोध जैसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय में निर्देशन एवं सह शोध निर्देशक की व्यवस्था का उत्तरदायित्व दिया गया। शोध निर्देशक की उचित व्यवस्था बिना ही शोध विषय बदल दिया जाना एवं सह शोध निर्देशक की नियुक्ति निश्चय ही चिंतनीय है।"

स्पष्टीकरण :

(एक) संदर्भित दोनों सदस्यों ने विभागीय अध्ययन मण्डल को उपलब्ध कराए गए सम्बंधित सूचना बिंदु का अध्ययन किए बिना अपने अभिमत प्रस्तुत किए हैं, अत: इन्हें अस्वीकार किया जाता है।

(दो) श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा 4420011 (महाराष्ट्र) में हिंदी सलाहकार के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, अत: उन्हें प्रदान की जाने वाली शोधवृत्ति रोक दी जाए। इसी प्रकार श्री बृजेश कुमार चौहान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित चीनी भाषा के पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस परिस्थिति में आपातत: दोनों ही शोधार्थी आवश्यक होने पर किसी दूर स्थान पर मौजूद विशेषज्ञ के पास रह कर शोध कार्य नहीं कर पाएँगे, अत: निर्णय लिया जाता है कि :

निर्णय :

"पी-एच.डी. शोधार्थियों, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और श्री बृजेश कुमार चौहान को सह शोध निर्देशक प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया आपातत: स्थगित की जाती है और निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में संदर्भित शोधार्थियों को सह शोध निर्देशक प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय अध्ययन मण्डल की 15.04.2015 की बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 11 के अंतर्गत लिए गए निर्णय सं. 2 का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जाए।"

बिंदु सं. 4 : शोध निर्देशक घोषित :

कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या पत्रांक 05/2013/DTT/10(4-1)/520 दिनांक 24.08.2015 के अनुसार डॉ. हरप्रीत कौर को शोध निर्देशक घोषित किया गया है। यह सूचना विभागीय अध्ययन मण्डल के संज्ञान में लाई गई।

सदस्यों के अभिमत : समस्त सदस्य सूचना से अवगत हुए।

विभागीय अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया जाता है।

16/10/15

अध्यक्ष

विभागीय अध्ययन मंडल

एवं

अनुवाद अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी

विश्वविद्यालय, वर्धा

106

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

अनुवाद अध्ययन विभाग

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ

अध्ययन मण्डल की बैठक

15.04.2015: कार्यसूची पर विचार

16.04.2015 : शोध एवं पाठ्यक्रम पर सुझाव

कार्यवृत्त

(15.04.2015 की बैठक)

अनुवाद अध्ययन विभाग के विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक प्रो. देवराज की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 2015 को 10.30 बजे विभाग के सभागार में प्रारंभ हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :

01 डॉ. जगदीश शर्मा	:	इग्नू, नई दिल्ली (बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य)
02 डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल	:	एसोसिएट प्रोफेसर (सदस्य)
03 डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी	:	सहायक प्रोफेसर (सदस्य)
04 डॉ. राम प्रकाश यादव	:	सहायक प्रोफेसर (सदस्य)
05 डॉ. हरप्रीत कौर	:	सहायक प्रोफेसर (सदस्य)
06 डॉ. मिलिंद पाटिल	:	पी.डी.एफ. (पूर्व विद्यार्थी सदस्य)

बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित प्रो के. नारायण मूर्ति द्वारा बैठक में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किंतु रेल–आरक्षण न मिल पाने के कारण वे इस बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थ रहे।

विभाग के शैक्षणिक सदस्य के रूप में नामित श्री गोपाल राम को बैठक के आयोजन की सूचना ई–मेल द्वारा प्रेषित की गई थी, किंतु वे अध्ययन अवकाश पर होने के कारण इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके।

कार्यवाही

प्रारंभ में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक की कार्रवाई आरंभ किए जाने का अनुरोध किया।

मद संख्या : 01

अध्ययन मण्डल की 10 मई, 2013 की बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन :–

अनुवाद अ़ध्ययन विभाग (तत्कालीन अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग) के अध्ययन मण्डल की पिछली बैठक 10 मई, 2013 को आयोजित की गयी थी, जिसका कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय : कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या : 02

अध्ययन मण्डल की 10 मई, 2013 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई

अध्ययन मण्डल की 10 मई, 2013 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्रवाई माननीय अध्ययन मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुपालित निर्णयों के अनुमोदन के साथ ही कार्यान्वित न किए जा सकने वाले निर्णयों के संबंध में विभागीय अध्ययन मण्डल ने निम्नांकित निर्णय लिए :

प्रस्ताव संख्या	कार्यान्वित न किए जा सकने वाले प्रस्ताव का विवरण	विभागीय अध्ययन मण्डल का निर्णय
01	भविष्य में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद तथा समाज–वैज्ञानिक अनुवाद शीर्षक से दो विशेष अध्ययन प्रारंभ किया जाएँ।	उक्त विषय से संबंधित दो पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाएँ। **समाज–वैज्ञानिक अनुवाद** शीर्षक में आंशिक परिवर्तन कर उसे **समाज–विज्ञान** किया जाए।
04	अनुवाद विज्ञान अनुशासन में प्रयुक्त शब्दावली को सहज ग्राह्य बनाने के लिए हिंदुस्तानी/अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से वैकल्पिक शब्द गढ़े जाएँ। विभाग इसे एक दीर्घकालीन नीति के रूप में आगे बढ़ाए।	इसे एक विभागीय परियोजना के अंतर्गत चलाया जाए। विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा इस परियोजना का समन्वयक **डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी** को मनोनीत किया गया। निर्णय लिया गया कि डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेंगे तथा उसके माध्यम से तैयार प्रस्ताव विभागीय समिति के समक्ष रखेंगे। उसकी संस्तुति के बाद विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को भेज कर उनके सुझाव/सहमति प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात वे परियोजना प्रस्ताव विश्वविद्याल अनुदान आयोग/ किसी अन्य संस्था को भेजेंगे।
06	एम.फिल. पाठ्यक्रम में 'अनुवाद और अंतर–सांस्कृतिक अध्ययन' एक पूर्ण प्रश्नपत्र के रूप में रखा जाए।	अंतर–सांस्कृतिक अध्ययन' शीर्षक एक स्वतंत्र प्रश्नपत्र एम. फिल. के स्थान पर एम.ए. के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

मद संख्या 03

पी–एच.डी. शोध प्रस्ताव :–

निम्नांकित शोधार्थियों के शोध प्रस्ताव 10.04.2015 की विभागीय बैठक में प्रस्तुत किए गए, जिन्हें सदस्यों ने सर्व सम्मति से विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए संस्तुत किया । तदनुसार शोध –विषयों पर विचार करके निर्णय लिया गया :

क्र.सं.	शोधार्थी का नाम	शोध विषय	शोध निर्देशक
1	बृजेश कुमार चौहान	हिंदी–अंग्रेजी अनुवाद में डायवर्जन्स की समस्याएँ (मशीनी अनुवाद के संदर्भ में)	प्रो. देवराज
2	वासुदेव	मशीनी अनुवाद के संदर्भ में हिंदी शब्द विश्लेषक का निर्माण	प्रो. देवराज
3	लक्ष्मी संगीता गादे	हिंदी–तेलुगु मशीनी अनुवाद के संदर्भ में रुपसाधक प्रत्यय का अध्ययन (आधार : क्रिया – लिंग, काल, पुरुष)	मद संख्या 09 के अंतर्गत विचारणीय

स्पष्टीकरण : क्र.सं. 1 एवं 2 के लिए शोध निर्देशकों की स्वीकृति मद सं. 13 में विचारणीय।

निर्णय :

निर्णय क्र. 1 :

(i) श्री. बृजेश कुमार चौहान – विषय में आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वीकृत विषय : **'हिंदी–अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में विचलन (डायवर्जन्स) की समस्याएँ (सामान्य व्यवहार की भाषा के संदर्भ में)**

(ii) श्री वासुदेव – विषय को स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वीकृत विषय : **'मशीनी अनुवाद के संदर्भ में हिंदी शब्द विश्लेषक का निर्माण'**

(iii) सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे – डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल ने सूचित किया कि उहोंने सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे का शोध विषय प्रो. उमा महेश्वर राव को टिप्पणी हेतु भेजा था, जिन्होंने सूचित किया है कि शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान विषय पी–एच. डी. शोध के लिए संभवतः अधिक उपयुक्त नहीं है। विभागीय अध्ययन मण्डल ने

निर्णय किया कि सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे को निर्देश दिया जाए कि वे पी–एच.डी. हेतु पुनः इसी विषय को उपयुक्त रूप देकर अथवा कोई नया शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करें। यह भी निर्णय लिया गया कि विभागीय समिति पुनः प्रस्तुत शोध प्रस्ताव पर विचार करके विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को स्वीकृति हेतु प्रेषित करे ।

निर्णय क्र. 2 : शोध–कार्य की रूपरेखाओं पर बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य द्वारा 16.04.2015 की बैठक में विचार करके सुझाव दिए जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णय क्र. 3 : निर्णय लिया गया कि जिन पी–एच.डी. शोधार्थियों के शोध प्रस्ताव संबंधित शोध निर्देशकों की संस्तुति के पश्चात विभागीय कार्यालय को प्राप्त न होने के कारण विभागीय समिति की 10.04.2015 की बैठक में संस्तुति हेतु नहीं रखे जाने के चलते विभागीय अध्ययन मण्डल की आज की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत नहीं किए जा सके, उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे अपने शोध प्रस्ताव अपने शोध निर्देशकों की संस्तुति के साथ अतिशीघ्र विभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

मद संख्या 04

सी.बी.सी.एस. के अंतर्गत तैयार पी–एच.डी., एम.फिल., डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या :–

10.04.2015 की विभागीय बैठक के प्रस्ताव सं. 03 के आलोक में निम्नांकित पाठ्यक्रम (पाठ्यचर्या सहित) आवश्यकतानुसार संशोधन एवं स्कूल बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखे जाने की संस्तुति के लिए प्रस्तुत किए गए

	पाठ्यक्रम		तैयार कर्ता
1.	पी–एच.डी. एवं एम.फिल.	:	प्रो. देवराज
2.	डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट	:	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी (पाठ्यक्रम समिति संयोजक) डॉ. हरप्रीत कौर (पाठ्यक्रम समिति सदस्य)

विभागीय अध्ययन मण्डल की संस्तुति :

1. **पी–एच.डी.** पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या को स्कूल बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।
2. **एम.फिल.** पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में 'अनुवाद और अंतर–सांस्कृतिक अध्ययन' शीर्षक एक इकाई जोड़ कर स्कूल बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई।
3. **पी.जी. डिप्लोमा** : (अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा, प्रयोजनमूलक हिंदी में पी. जी. डिप्लोमा, निर्वचन में पी. जी. डिप्लोमा)

   प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में संशोधन कर विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को भेजा जाए और उनकी संस्तुति प्राप्त कर स्कूल बोर्ड की बैठक में स्वीकृति हेतु रखे जाने की कार्रवाई की जाए।
4. **सर्टिफिकेट कोर्स** : (सर्टिफिकेट कोर्स : मशीनी अनुवाद)

   अध्ययन मण्डल ने सुझाव दिया कि सर्टिफिकेट कोर्स को पी.जी.डिप्लोमा के रूप में चलाया जाए। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव विभागीय अध्ययन मण्डल की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाए।

मद संख्या 05

सी.बी.सी.एस. के अंतर्गत तैयार एम.ए. पाठ्यक्रम :–

	पाठ्यक्रम		तैयार कर्ता
1.	एम. ए. अनुवाद अध्ययन	:	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल (पाठ्यक्रम समिति संयोजक) डॉ. रामप्रकाश यादव (पाठ्यक्रम समिति सदस्य)

विभागीय अध्ययन मण्डल की संस्तुति :

10.04.2015 की विभागीय बैठक के प्रस्ताव सं. 03 के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा एम.ए. पाठ्यक्रम की जाँच की गई। पाया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में बहुत अधिक संशोधन और परिवर्धन की आवश्यकता है। इस तथ्य से विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया। निर्णय लिया गया कि बाह्य विषय विशेषज्ञ से सुझाव लेकर वर्तमान पाठ्यक्रम को संशोधित व परिवर्धित करके विभागीय समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए तथा उनसे प्राप्त सुझावों के अनुसार सुधार कर विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को भेजा जाए और उनकी संस्तुति प्राप्त की जाए। तत्पश्चात अन्य पाठ्यक्रमों के साथ स्कूल बोर्ड की बैठक में स्वीकृति हेतु रखे जाने की कार्रवाई की जाए।

मद संख्या 06

नवीन पाठ्यक्रम प्रस्ताव :–

'पी.जी.डिप्लोमाः अनुवाद और पत्रकारिता'

निर्णय :

पाठ्यक्रम प्रस्ताव को स्कूल बोर्ड की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की गई। तैयार की जाने वाली पाठ्यचर्या में 'न्यू मीडिया' संबंधी प्रश्नपत्र शामिल करके विभागीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने का सुझाव दिया गया।

मद संख्या 07

शोध निर्देशक की मान्यता :–

डॉ. हरप्रीत कौर, सहायक प्राध्यापक का शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पत्र अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ 6.4.2015 की विभागीय बैठक में प्रस्तुत किया गया। विचारोपरांत सर्व सम्मति से तय किया गया कि डॉ. हरप्रीत कौर को विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति के बाद तीन वर्ष पी. जी. शिक्षण अनुभव पूरा होने की अगली तिथि, 27.08.2015 से शोध निर्देशक की मान्यता प्रदान किए जाने की संस्तुति की जाए और उसे विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक में विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :

विभागीय समिति की संस्तुति का अनुमोदन किया गया और डॉ. हरप्रीत कौर को 27.08.2015 से शोध निर्देशक की मान्यता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 08

शोध निर्देशक परिवर्तन :–

विभाग के एसिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रामप्रकाश यादव तथा उनके निर्देशन में पी–एच.डी. उपाधि हेतु शोधरत श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और सुश्री अनुपमा पाण्डेय के पत्र 11.02.2015 की विभागीय बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। दोनों शोधार्थियों द्वारा अपना शोध निर्देशक बदलने और शोध निर्देशक डॉ. रामप्रकाश यादव द्वारा भी ऐसी ही मांग किए जाने संबंधी प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार करके विभागीय बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शोध निर्देशक डॉ. रामप्रकाश यादव तथा उनके निर्देशन में पी–एच.डी. उपाधि हेतु कार्यरत शोधार्थियों, श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और सुश्री अनुपमा पाण्डेय की मांग को स्वीकृति हेतु विभागीय अध्ययन मण्डल (BOS) की आगामी बैठक में रखा जाए। यह भी निश्चय किया गया कि विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा कोई निर्णय लिए जाने तक उपर्युक्त दोनों शोधार्थियों के शोध–कार्य में सहायता करने तथा उनके शोध–प्रतिवेदन की

जाँच करके शोधवृत्ति हेतु संस्तुत करने का दायित्व विभाग की प्राध्यापक डॉ. हरप्रीत कौर को सौंपा जाए।

निर्णय :

11.02.2015 की विभागीय बैठक में विभागीय समिति द्वारा की गई अंतरिम–व्यवस्था का अनुमोदन किया गया और निर्णय लिया गया कि शोध–निर्देशक प्रदान किए जाने तक .डॉ. हरप्रीत कौर श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव व सुश्री अनुपमा पाण्डेय के शोध कार्य में सहयता करने तथा उनके शोध प्रतिवेदन संस्तुत करने का दायित्व उसी प्रकार निभाती रहें, जैसे विभागीय समिति के निर्णयानुसार फरवरी, 2015 से निभा रही हैं।

मद संख्या 09

सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे को नया शोध निर्देशक प्रदान किया जाना :–

डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल के प्रस्ताव के आलोक में 10.04.2015 की विभागीय बैठक के प्रस्ताव सं. 07 (सात) के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार नव प्रवेशित पी–एच.डी. शोधार्थी सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे को नया शोध निर्देशक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :

नियमित शोध निर्देशक प्रदान किए जाने तक विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा निश्चित की गई अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत डॉ. हरप्रीत कौर को सुश्री लक्ष्मी संगीता गादे के शोध–विषय निर्धारण, शोध–प्रस्ताव तैयार करने तथा शोध–कार्य संबंधी अन्य आवश्यक सहायता करने का दायित्व सौंपे जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 10

शोध विषय में आंशिक परिवर्तन :–

पी–एच. डी. शोधार्थी श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव एवं सुश्री अनुपमा पाण्डेय द्वारा अपने वर्तमान शोध विषयों में आंशिक परिवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्रों पर 10.04.2015 की विभागीय बैठक में विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि संबंधित शोधार्थियों के शोध विषय में संशोधन की संस्तुति की जाए और स्वीकृति हेतु विभागीय अध्ययन मण्डल की 15.04.2015 की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार संस्तुत संशोधित शोध विषय एवं रूपरेखा विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्र.	शोधार्थी का नाम	पूर्व शोध विषय	प्रस्तावित शोध विषय
1	विशेष कुमार श्रीवास्तव	मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों (Multi Word Expressions) की समस्याएँ (अंग्रेजी–हिंदी के विशेष संदर्भ में)	बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी–अंग्रेजी मशीनी अनुवाद के संदर्भ में
2	अनुपमा पाण्डेय	क्रिकेट खेल आधारित हिंदी कार्पस निर्माण एवं मूल्यांकन	क्रिकेट खेल आधारित हिंदी POS टैग कार्पस निर्माण और भाषाई मूल्यांकन

निर्णय :

1. **श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव** – विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा पूर्व शोध विषय और संस्तुत शोध विषय पर विचार करके निम्नांकित शोध विषय स्वीकार किया गया–

स्वीकृत विषय : **'मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी–अंग्रेजी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन'**

2. सुश्री अनुपमा पाण्डेय – विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा पूर्व शोध विषय और संस्तुत शोध विषय पर विचार करके निम्नांकित शोध विषय स्वीकार किया गया–
स्वीकृत विषय : **'क्रिकेट खेल आधारित हिंदी POS टैग कार्पस निर्माण और भाषाई मूल्यांकन'**

मद संख्या 11

सह शोध निर्देशक की नियुक्ति :–

पी–एच. डी. शोधार्थियों तथा एम.फिल. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की शोध–कार्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए अनुभव किया गया कि उन्हें सह शोध निर्देशक की आवश्यकता है। 10.04.2015 की विभागीय बैठक में निश्चय किया गया कि निम्नांकित विवरण के नुसार सह शोध निर्देशक प्रदान किए जाने की संस्तुति की जाए और उसे विचार तथा स्वीकृति हेतु विभागीय अध्ययन मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाए। तदनुसार प्रस्ताव रखा गया :

पी–एच.डी.

क्र.	शोधार्थी का नाम	शोध विषय	शोध निर्देशक	संस्तुत सह शोध निर्देशक
1	विशेष कुमार श्रीवास्तव	मशीनी अनुवाद में बहुशाब्दी अभिव्यक्तियों का स्वचालित अभिज्ञानक : हिंदी–अंग्रेजी के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन **(संशोधित)**	शोध निर्देशक परिवर्तन प्रक्रियाधीन	
2	अनुपमा पाण्डेय	क्रिकेट खेल आधारित हिंदी POS टैग कार्पस निर्माण और भाषाई मूल्यांकन **(संशोधित)**	शोध निर्देशक परिवर्तन प्रक्रियाधीन	डॉ. गिरीशनाथ झा
3	वासुदेव	मशीनी अनुवाद के संदर्भ में हिंदी शब्द विश्लेषक का निर्माण	प्रो. देवराज	डॉ. गिरीशनाथ झा
4	बृजेश कुमार चौहान	हिंदी–अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में डायवर्जन्स की समस्याएँ (सामान्य व्यवहार की भाषा के संदर्भ में)	प्रो. देवराज	
5	लक्ष्मी संगीता गादे	शोध प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाना है।	मद संख्या 09 के निर्णयानुसार	एस. अरुलमोजी

एम.फिल.

क्र.	विद्यार्थी का नाम	लघु शोध विषय	शोध निर्देशक	संस्तुत सह शोध निर्देशक
1	वर्षा कुमारी	मैथिली–हिंदी समांतर कार्पस निर्माण (आधार : इ–समाद के संपादकीय पाठ)	प्रो. देवराज	डॉ. अनिल ठाकुर

निर्णय :

1. सुश्री अनुपमा पाण्डेय, श्री. वासुदेव, सुश्री. लक्ष्मी संगीता गादे और सुश्री वर्षा कुमारी के लिए विभागीय समिति द्वारा संस्तुत विशेषज्ञों के नाम सह शोध निर्देशक के रूप में स्वीकृत किए गए।
2. श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव और श्री ब्रजेश कुमार चौहान को सह शोध निर्देशक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विभागीय समिति द्वारा 10.04.2015 की बैठक में संस्तुत विशेषज्ञ की सेवाएँ आपाततः उपलब्ध न होने के कारण निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष संबंधित शोध–निर्देशक (श्री विशेष कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण में अंतरिम व्यवस्था के अनुसार डॉ. हरप्रीत कौर) के सहयोग से

सह शोध–निर्देशक की व्यवस्था करें और विभागीय समिति तथा विभागीय अध्ययन मण्डल के सदस्यों को सूचित करें।

मद संख्या 12

नेट परीक्षा में अनुवाद अध्ययन विषय सम्मिलित कराने संबंधी प्रस्ताव :–

19.12.2014 की विभागीय बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव भेज कर अनुवाद और अनुवाद प्रौद्योगिकी विषय को नेट परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की माँग की जाए। वर्तमान में विभाग तथा पाठ्यक्रम की उपाधियों/प्रमाणपत्रों का नाम संशोधित हो गया है, अतः विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्ताव को नए रूप में अनुमोदित किया जाना है। तदनुसार प्रस्ताव विचार एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया :

निर्णय :

निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किया गया और निर्णय लिया गया कि इसे विश्वविद्यालय के समक्ष अधिकारी के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया जाए :

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा में **अनुवाद अध्ययन** विषय शामिल न होने के कारण इस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्हें या तो किसी अन्य विषय का चयन करना होता है अथवा नेट परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाना पड़ता है। इसका अनुवाद अध्ययन में शिक्षित विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा इस ज्ञानानुशासन के विस्तार में भी बाधा आ रही है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए **महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का अनुवाद अध्ययन विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से मांग करता है कि नेट (NET) परीक्षा में अनुवाद अध्ययन विषय शामिल किया जाए।"**

मद संख्या 13 (कंप्यूटर संबंधी भूल के कारण सदस्यों को प्रेषित कार्य–सूची में न दर्शाया जा सका, किंतु बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक कार्यसूची के अंतर्गत प्रस्तुत विषय)

पी–एच.डी. शोध निर्देशक प्रदान किया जाना :

11/02/2015 को संपन्न आकस्मिक विभागीय बैठक में अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान नाम : अनुवाद अध्ययन विभाग) के **पी-एच.डी** कार्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थियों को निम्नानुसार शोध निर्देशक प्रदान किए जाने की संस्तुति का निर्णय लिया गया, जिसे विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक में विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

क्र	**शोधार्थी का नाम**	**शोध निर्देशक**
1	बृजेश कुमार चौहान	प्रो. देवराज
2	वासुदेव	प्रो. देवराज
3	लतिका रवींद्र चावड़ा	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
4	लक्ष्मी संगीता गादे	**मद संख्या 09 के अनुसार**
5	पन्नालाल लक्ष्मण धुर्वे	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
6	लेखा अशोक जोशी	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
7	जयंतीलाल नटवरलाल राठोड़	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
8	शावेज खान	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
9	विद्या दिलीप चंदनखेडे	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
10	मनिषा भाग्यवान कांबले	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी

निर्णय :

स्वीकृति प्रदान की गई।

सूचनार्थ विषय

1) विभाग के नाम में संशोधन

विद्या–परिषद की 22वीं बैठक की मद संख्या 07 के अंतर्गत किए गए अनुमोदन के आलोक में विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालयादेश पत्रांक 005/2009/वि.प. (22)/2015/253 दिनांक 31.03.2015 के अनुसार विभाग के नाम में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

पूर्व नाम	संशोधित नाम
अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग	अनुवाद अध्ययन विभाग

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

2) पाठ्यक्रम संबंधी डिग्रियों एवं प्रमाणपत्रों के नामों में आंशिक संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अनुवाद अध्ययन विभाग द्वारा संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के नामों में आंशिक संशोधन किया गया है :

क्र.	वर्तमान नाम	संशोधित नाम
1	एम. ए. अनुवाद प्रौद्योगिकी	एम. ए. अनुवाद अध्ययन
2	एम. फिल. अनुवाद प्रौद्योगिकी	एम. फिल. अनुवाद अध्ययन
3	पी–एच.डी. अनुवाद प्रौद्योगिकी	पी–एच.डी. अनुवाद अध्ययन
4	स्नातकोत्तर डिप्लोमा : अनुवाद	अनुवाद में पी. जी. डिप्लोमा
5	स्नातकोत्तर डिप्लोमा : प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद	प्रयोजनमूलक हिंदी में पी. जी. डिप्लोमा
6	स्नातकोत्तर डिप्लोमा : निर्वचन	निर्वचन में पी. जी. डिप्लोमा

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

3) एम.फिल.शोध विषय :

विभागीय समिति द्वारा 10.04.2015 की बैठक में एम. फिल. पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लघु शोध विषय स्वीकृत किए गए, जिनका विवरण सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया :

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	लघु शोध विषय	शोध निर्देशक
1	नेहा मनोहरराव सुपारे	बाजारीकरण, अनुवाद और भाषा का बदलता स्वरूप	प्रो. देवराज
2	वर्षा कुमारी	मैथिली–हिंदी समांतर कार्पस निर्माण (आधार : इ–समाद के संपादकीय पाठ)	प्रो. देवराज
3	विजय करन	हिंदी से अंग्रेजी मशीनी अनुवाद में संज्ञा और क्रिया की संदिग्धार्थकता की समस्या	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
4	कुलदीप कुमार पाण्डेय	भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव और अनुवाद	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
5	दीप्ति एक्का	कुडुख भाषा के त्योहार गीतों का हिंदी अनुवाद और लोकसांस्कृतिक अध्ययन	डॉ. रामप्रकाश यादव
6	नेव्हल अमोल आप्पासाहेब	मराठी से हिंदी में अनूदित 'जूझ' उपन्यास का समीक्षात्मक अध्ययन	डॉ. रामप्रकाश यादव
7	आकांक्षा मोहन	अमृता प्रीतम के 'पिंजर' उपन्यास का अंतःप्रतीकात्मक अनुवाद की दृष्टि से मूल्यांकन	डॉ. रामप्रकाश यादव

निर्णय

1. विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।
2. विभागीय अध्ययन मण्डल ने निर्देशक के अनुरोध पर सूची में क्र.सं.01 पर दर्शित नेहा मनोहरराव सुपारे के लघुशोध विषय में **'बाजारीकरण'** के स्थान पर **'बाज़ारवाद'** शब्द रखा जाना स्वीकार किया। उनका लघुशोध विषय होगा – **'बाज़ारवाद, अनुवाद और भाषा का बदलता स्वरूप'**
3. विभागीय अध्ययन मण्डल ने अनुभव किया कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रस्तावों के अध्यायीकरण में संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता है। इस संबंध में विचार करके सुझाव देने का अनुरोध बाह्य विशेषज्ञ सदस्य डॉ. जगदीश शर्मा से किया गया।

4) श्री गोपाल राम को अध्ययन अवकाश स्वीकृत

विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालयादेश Estt/4353/2015/MGAHV Date 12.02.2015 के अनुसार विभागीय प्राध्यापक श्री गोपाल राम को दिनांक 13.02.2015 से 28.04.2015 तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है। यह सूचना विभागीय अध्ययन मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

5) पी.डी.एफ.

डॉ. मिलिंद पाटिल द्वारा पी.डी.एफ. योजना के अंतर्गत विभाग में स्थान ग्रहण किया गया है। वे प्रो. देवराज के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। उन्हें विभाग में शिक्षण एवं आनुषंगिक अकादमिक कार्य सौंपा गया है। डॉ. पाटिल अध्यापन कार्य के अतिरिक्त ई–शोध जर्नल 'अनुसृजन'के संपादन कार्य से भी जुड़े हैं।

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

6) पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त विद्यार्थी

विभागीय अध्ययन मण्डल की पिछली बैठक के पूर्व केवल 02 पी–एच.डी. शोधार्थियों की मौखिकी संपन्न हुई थी, शेष सभी शोधार्थियों की मौखिकी उक्त बैठक के पश्चात हुई है। :

क्र.	शोधार्थी का नाम	शोध–विषय		शोध–निर्देशक
1	श्री गिरीश कठाणे	'प्रतीकात्मक अनुवाद : सिद्धांत और विश्लेषण' (प्रेमचंद की चयनित कहानियों के दृश्य–श्रव्य रूपांतरण के विशेष संदर्भ में)	12 सितंबर, 2012	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले
2	श्रीमती मुरूकुट्ल मंजुला	तेलुगु के प्रबंध काव्यों के हिंदी अनुवाद की समीक्षा : मनुचरित्र काव्य के विशेष संदर्भ में	19 अक्तूबर, 2012	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले
3	सुश्री कल्याणी भैंसारे	नवम दशक की मराठी दलित आत्म कथाओं का हिंदी अनुवाद	20 मई, 2013	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
4	श्री अभिजीत पायें	हिंदी–असमिया व्याकरणिक कोटियों का व्यतिरेकी अध्ययन (मशीनी अनुवाद के विशेष संदर्भ में)	21 जून, 2013	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले
5	श्री मिलिंद बा. पाटिल	मशीनी अनुवाद के लिए रूपात्मक सर्जक (हिंदी से मराठी क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम के संदर्भ में)।	20 सितंबर, 2013	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
6	सुश्री मीना तेलगोड़े	वसंत कानेटकर के मराठी से हिंदी में अनूदित नाटकों का अनुवादपरक मूल्यांकन	30 सितंबर, 2013	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
7	श्री भारत बा. पाटिल	आर.के. नारायण के अंग्रेजी उपन्यास 'दी गाइड' के हिंदी अनुवादों का तुलनात्मक अनुशीलन	17 अक्तूबर, 2013	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
8	सुश्री नीलम ठवसे	महेश एलकुंचवार के हिंदी में अनूदित नाटकों का अनुवादपरक मूल्यांकन	17 अक्तूबर, 2013	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले
9	श्री सुबोध कुमार	अनुवाद में सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ : विश्लेषणात्मक	18 अक्तूबर,	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले

		अध्ययन (प्रेमचंद के उपन्यासों के विशेष संदर्भ में)	2013	
10	श्री राजेश मून	विजय तेंदुलकर के मराठी से हिंदी में अनूदित प्रयोगशील नाटकों के संवाद : भाषिक अध्ययन	18 फरवरी, 2014	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी
11	श्री संतोष पौल	'महानायक' उपन्यास के अनुवादों का तुलनात्मक अध्ययन (संदर्भ : हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद)	07 मार्च, 2014	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल
12	सुश्री मंजू ग्वालवंश	मराठी सामाजिक उपन्यासों की हिंदी अनुवाद समीक्षा।	24 अप्रैल, 2014	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल
13	सुश्री हिमाद्री शईकिया	मैनिफेस्टो आफ द कम्यूनिस्ट पार्टी का हिंदी अनुवाद : वाक्य विश्लेषण एवं निर्वचन।	7 जुलाई, 2014	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल
14	श्री प्रदीप कुमार यादव	कबीर की रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद का मूल्यांकन	7 जुलाई, 2014	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल
15	श्री शैलेश मरजी कदम	दलित साहित्य में अनुवाद परंपरा : मराठी से हिंदी में अनूदित दलित आत्मकथाओं के विशेष संदर्भ में	8 अप्रैल, 2015	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

7) अनुवाद प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला

अनुवाद प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन, शोध और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखने तथा तकनीकी कौशल के विकास को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को एक अनुवाद प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला प्रदान की गई है। इसमें एक साथ 35 (पैंतीस) व्यक्तियों के प्रशिक्षण की सुविधा है। मशीनी अनुवाद के बहुविध कार्यक्रम प्रयोगशाला में उपलब्ध हैं। विभाग के पाठ्यक्रम–शिक्षण में प्रयोगशाला का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इस प्रयोगशाला का प्रबंध निम्नांकित समिति द्वारा किया जाता है :

1. डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल – अध्यक्ष
2. डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी – सदस्य
3. डॉ. राम प्रकाश यादव – सदस्य
4. डॉ. हरप्रीत कौर – सदस्य
5. श्री गोपाल राम – संयोजक

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

8) एकीकृत अनुवादक सूची

नवीन विश्व परिदृश्य में अनुवाद की महत्ता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ विश्व भर के उन अनुवादकों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है, जो अपनी मातृ–भाषा अथवा अन्य भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद कार्य कर रहे हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुवाद अध्ययन विभाग ने **'एकीकृत अनुवादक सूची'** तैयार करने की योजना प्रारंभ की है। इस सूची में पंजीकृत अनुवादकों को समय–समय पर अनुवाद कार्यशालाओं में आमंत्रित किया जाएगा, अनुवाद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले शोध से परिचित कराया जाएगा, उनके लिए अनुवाद की नई तकनीक सुलभ बनाने के प्रयास किए जाएँगे तथा उन्हें मशीनी अनुवाद के महत्व से परिचित कराया जाएगा। इससे अनुवाद–कार्य के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

यह योजना डॉ. अन्नपूर्णा चर्ल के संयोजन में चल रही है।

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

9) **विभागीय ब्लॉग : निर्वचन**

विभाग द्वारा **'निर्वचन'** शीर्षक एक ब्लॉग तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को अनुवाद प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यक जानकारी, विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के विषय में विस्तृत सूचना, संगोष्ठियों/ शिविरों की जानकारी, आयोजन संबंधी समाचार, अनुवाद–कार्य संबंधी मूल्यांकनपरक सामग्री तथा विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अनूदित रचनाएँ उपलब्ध कराना है। ब्लॉग का url है : www.nirvachan.blogspot.in

ब्लॉग योजना डॉ. रामप्रकाश यादव के संयोजन में चल रही है।

विभागीय अध्ययन मण्डल को सूचित किया गया :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ।

10) **आधार ग्रंथ–निर्माण**

इस योजना का लक्ष्य अनुवाद, अनुवाद प्रौद्योगिकी और कार्यालयीन भाषा के बारे में हिंदी में शोध एवं संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत पहले चरण में विभाग के प्राध्यापकों को निम्नांकित विषयों पर ग्रंथ निर्मित/संपादित करने का दायित्व सौंपा गया है–

क्र.	**प्राध्यापक का नाम**	**ग्रंथ का विषय–क्षेत्र**
1	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले	अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद की तकनीक
2	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी	प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद (हिंदी–मराठी अनुवाद के संदर्भ में)
3	डॉ. राम प्रकाश यादव	समाज भाषा विज्ञान और अनुवाद प्रौद्योगिकी
4	सुश्री हरप्रीत कौर	निर्वचन और अनुवाद
5	श्री गोपाल राम	मशीनी अनुवाद

टिप्पणी : डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले और डॉ. रामप्रकाश यादव की मांग पर उनके द्वारा निर्मित किए जाने वाले ग्रंथों के शीर्षक क्रमशः 'अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद' और 'समाज भाषाविज्ञान और अनुवाद' निर्धारित किए गए।

विभागीय अध्ययन मण्डल का अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ और शीर्षक परिवर्तन का अनुमोदन किया।

11) **अनुवाद शोध मंच**

स्थापना : 2013

उद्देश्य :

अनुवाद शोध मंच का उद्देश्य अनुवाद के शोधार्थियों और अन्य छात्रों को शोध के अधुनातन क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना तथा अनुवाद एवं निर्वचन के व्यावहारिक पक्ष को विकसित करने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना है। शोध मंच के प्रथम निदेशक डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी थे। वर्तमान में डॉ. हरप्रीत कौर निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

इस जानकारी के साथ ही विभागीय अध्ययन मण्डल को निम्नांकित सूचना भी दी गई :

अनुवाद शोध मंच द्वारा 2014–15 में संपन्न गतिविधियाँ

- अनुवाद प्रौद्योगिकी केंद्रित व्याख्यान
- डिजिटल व्याख्यान माला
- अनुवाद शोध मंच ब्लॉग
- अनुवाद शोध जर्नल : अनुसृजन

विभागीय अध्ययन मण्डल का अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल सूचना व कार्यक्रमों से अवगत हुआ तथा अनुवाद शोध मंच की गतिविधियों की सराहना की।

12) भावी योजनाएँ

विभागीय अध्ययन मण्डल को अनुवाद अध्ययन विभाग की भावी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

- ज्ञान सर्जन केंद्र :
- अनुवादक प्रशिक्षण योजना
- अनूदित ग्रंथ प्रकोष्ठ

विभागीय अध्ययन मण्डल का अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल ने योजनाओं से सहमति व्यक्त की और उपयोगी सुझाव दिए।

13) (कंप्यूटर संबंधी भूल के कारण सदस्यों को प्रेषित कार्य–सूची में न दर्शाया जा सका, किंतु बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक कार्यसूची के अंतर्गत प्रस्तुत विषय)

एम.फिल. निर्देशक :–

11/02/2015 को संपन्न आकस्मिक विभागीय बैठक में अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान नाम : अनुवाद अध्ययन विभाग) के **एम. फिल** पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थियों को निम्नानुसार शोध निर्देशक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया , जिसे सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

क्र	शोधार्थी का नाम	शोध निर्देशक
1	वर्षा कुमारी	प्रो. देवराज
2	नेहा मनोहरराव सुपारे	प्रो. देवराज
3	रहीसुद्दीन खान	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
4	कुलदीप कुमार पाण्डेय	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
5	विजय करन	डॉ. अन्नपूर्णा सी.
6	अंजली	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
7	अहमद खान	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
8	राजकुमार	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीक़ी
9	नेव्हल अमोल आप्पासाहेब	डॉ. रामप्रकाश यादव
10	दीप्ति एक्का	डॉ. रामप्रकाश यादव
11	आकांक्षा मोहन	डॉ. रामप्रकाश यादव

विभागीय अध्ययन मण्डल अवगत हुआ और सहमति व्यक्त की।

अन्य विषय : अध्यक्ष की अनुमति से

1) सह शोध निर्देशक की आवश्यकता :

विभागीय अध्ययन मण्डल ने माना कि अनुवाद अध्ययन अनुशासन में अनुवाद, अनुवाद मूल्यांकन, लोक–साहित्य का अनुवाद और विश्लेषण, निर्वचनपरक अध्ययन आदि अनेक ऐसे शोध–क्षेत्र हैं, जिनमें शोधार्थी के साथ–साथ निर्देशक को भी स्रोत–भाषा और लक्ष्य–भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इस तथ्य को विचार के केंद्र में रखते हुए विभागीय अध्ययन मण्डल ने सुझाव दिया कि उपर्युक्त शोध–क्षेत्रों सहित अन्य शोध–क्षेत्रों में भी– विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. एवं एम.फिल. अध्यादेश में की गई व्यवस्था का लाभ उठाते हुए, एम.फिल. एवं पी–एच.डी. दोनों में आवश्यकतानुसार सह शोध निर्देशकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए।

2) भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि सदस्य द्वारा प्राप्त पत्र

विभागीय अध्ययन मण्डल में भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि सदस्य, डॉ. मिलिंद पाटिल द्वारा प्रेषित पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नांकित बिंदु उठाए गए हैं–

1. विभागीय पूर्व छात्र/शोधार्थियों की विभागीय अलुमिनी बनाना और उन्हें कक्ष और अन्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. समय–समय पर अलुमिनी सदस्यों की बैठक बुलाना एवं विभाग के विकास में उनका सहयोग लेना।
3. विभाग में शोधार्थियों की बैठक हेतु अलग कक्ष की व्यवस्था।
4. विभागीय पुस्तकालय में एक सहायक की व्यवस्था।
5. वर्तमान में मशीनी अनुवाद प्रयोगशाला की स्थिति को देखते हुए वहाँ व्यापक सुधार करना :
   I. बिजली बैकअप की सुविधा करवाना।
   II. बंद पड़े हुए कंप्यूटरों को तुरंत शुरू करवाना।
   III. सभी कंप्यूटरों में नेट सुविधा उपलब्ध करवाना।
   IV. अनुवाद प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की देखरेख के लिए एक सहायक और एम. टी. एस. की व्यवस्था।
6. विभागीय पुस्तकालय में पर्याप्त पत्रिकाएँ उपलब्ध कराना।
7. गर्मी के दिनों को देखते हुए स्वच्छ और ठंडे पानी की व्यवस्था करना और वॉटर कूलर तुरंत ठीक कराना।
8. छात्रों की कक्षा उपस्थिति जल्दी न भेजने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में देरी हो जाती है, इसमें तत्काल सुधार करना।
9. एम.फिल. एवं पी–एच.डी. शोधार्थियों को उनके शोध विषय के अनुसार शोध निर्देशक और सह शोध निर्देशक प्रदान करना।
10. छात्रों के लिए बंद पड़ी डिजिटल कक्षा एवं व्याख्यान श्रृंखला नए रूप में शुरू करना।
11. शोधार्थियों के विषय से संबंधित संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर उनमें छात्रों/शोधार्थियों की शोध–पत्र वाचन और अन्य गतिविधियों में सहभागिता बढ़ाना।
12. विभागीय स्तर पर 'प्लेसमेंट सेल' प्रारंभ करना।

विभागीय अध्ययन मण्डल का अभिमत :

विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त विषयों पर कार्रवाई करके उसकी सूचना विभागीय अध्ययन मण्डल की अगली बैठक में प्रदान की जाए।

16.04.2015 की बैठक

16.04.2015 को संपन्न बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही संपन्न हुई :

1) शोध प्रस्तावों के संबंध में सुझाव :

15.04.2015 की बैठक के अनुसरण में बाह्य विशेषज्ञ सदस्य डॉ. जगदीश शर्मा ने पी–एच.डी. एवं एम. फिल. शोध प्रस्तावों का पुनरीक्षण किया। उन्होंने समग्र प्रस्ताव, अध्यायीकरण आदि बिंदुओं पर अपने सुझाव दिए। डॉ. जगदीश शर्मा ने विभागाध्यक्ष तथा आवश्यकतानुसार शोध निर्देशकों से विचार–विमर्श भी किया और शोध की गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता बताई।

2) एम.ए. पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव :

15.04.2015 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 05 के संदर्भ में बाह्य विशेषज्ञ सदस्य डॉ. जगदीश शर्मा को सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम प्रारूप और अनुवाद अध्ययन विभाग में लागू वर्तमान पाठ्यक्रम (पाठ्यचर्या सहित) उपलब्ध कराया गया। उन्होंने उक्त दोनों का अध्ययन करके अपने सुझाव दिए।

अध्यक्ष द्वारा सहयोग हेतु सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन किया गया।

प्रो. देवराज
(अध्यक्ष)

टिप्पणी : कार्यवृत्त विभागीय समिति और विभागीय अध्ययन मंडल के सदस्यों को ई–मेल द्वारा प्रेषित किया गया था। प्राप्त सुझावों पर विचार करके इसे अंतिम रूप दिया गया है।